

अंक 33 | संख्या 3 | मार्च 2026



सर्वे
भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

विचार-विमर्श

भिक्षावृत्ति पर पुनर्विचार: नीति, व्यवहार और गरिमा के बीच अंतर को पाटना'
भारत में नकली दवाओं पर रोक लगाने के उपाय

लेख

सहायक मानसिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण
आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य



मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 33 | संख्या 3 | मार्च 2026

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष

न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य

न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो


महासचिव

श्री भरत लाल

संपादक

जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है।
गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूजलेटर में
प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुनः
प्रकाशित कर सकते हैं।



▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, नामसाई, अरुणाचल प्रदेश स्थित अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज के 10वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए

लेख

- 10 सहायक मानसिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण
- 12 आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य

विषयवस्तु

मासिक विवरण:

- 3 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

विचार-विमर्श

- 5 भिक्षावृत्ति पर पुनर्विचार: नीति, व्यवहार और गरिमा के बीच की खाई को पाटना
- 7 भारत में नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के उपाय

- 13 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप
- 14 स्वतःसंज्ञान
- 15 राहत के लिए सिफारिशें
- 16 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान
- 17 केस स्टडी
- 18 मौके पर पूछताछ

क्षेत्रीय दौरे

- 19 एनएचआरसी, भारत के सदस्य द्वारा किए गए दौरे
- 20 विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- 22 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटरशिप
- 23 प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 25 ज्ञानार्जन दौरे
- 26 मूट कोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी

- 26 प्रतिनिधिमंडल के दौरे
- 28 ऑनलाइन सहभागिता
- 28 राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार
- 31 एनएचआरसी के हस्तक्षेप पर पीड़ितों की प्रतिक्रिया
- 32 संक्षेप में समाचार
- 35 आगामी कार्यक्रम
- 35 फरवरी 2026 में प्राप्त शिकायतें

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

भा त के पास एक सुदृढ़ संवैधानिक और विधिक ढांचा है जो सभी के लिए गरिमा और अधिकारों की गारंटी देता है। फिर भी इन गारंटियों की वास्तविक परीक्षा केवल कानूनों और नीतिगत दस्तावेजों में नहीं, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले उनके प्रभाव में होती है। अधिकारों को केवल कागजों तक सीमित न रहकर व्यवहार में उतरना चाहिए और लोगों के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। सार्वजनिक संस्थानों की शक्ति का आकलन केवल उन कानूनों से नहीं होना चाहिए जिन्हें वे लागू करते हैं, बल्कि उन जीवनों से होना चाहिए जिन्हें वे परिवर्तित करते हैं।

फरवरी 2026 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 'भिक्षावृत्ति पर पुनर्विचार: नीति, व्यवहार और गरिमा के बीच की खाई को पाटना' तथा 'भारत में नकली दवाओं पर रोक लगाने के उपाय' विषयों पर दो ओपन हाउस चर्चाओं का आयोजन किया। इन विचार-विमर्शों में कमजोर वर्गों और जनस्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई तथा ऐसे व्यावहारिक समाधान तलाशने का प्रयास किया गया जो नीतियों को वास्तविक परिवर्तन से जोड़ सकें। दोनों चर्चाओं से यह स्पष्ट संदेश निकला कि एक समावेशी भारत में किसी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस न्यूजलेटर के इस अंक में इन महत्वपूर्ण विचार-विमर्शों की रिपोर्ट शामिल है।

भिक्षावृत्ति पर हुई चर्चा ने इस मुद्दे के प्रति एक मानवीय और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया। गरीबी, बेघरपन और सामाजिक असुरक्षा को अपराध के रूप में नहीं देखा जा सकता; ये गहरी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों की अभिव्यक्तियाँ हैं। इनसे निपटने के लिए ऐसे समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है जो केवल प्रवर्तन से आगे बढ़कर काम करें। सरकारी पहलों के साथ-साथ नागरिक समाज संगठनों, स्वयंसेवी समूहों और सामुदायिक नेटवर्क की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है।

इस मुद्दे पर अभियान के माध्यम से निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। कमजोर व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से जोड़ने के लिए जागरूकता प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए। आधार कार्ड तक पहुंच को सुगम बनाना और पहचान प्रक्रियाओं में सुधार करना आवश्यक कदम के रूप में पहचाना गया है, क्योंकि भीख मांगने में लगे कई व्यक्ति औपचारिक कल्याणकारी ढांचों से बाहर रहते हैं। उन्हें मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना, पुनर्वास सहायता प्रदान करना और ज्ञात संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना गरिमा को बहाल करने और समावेशन की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने में मदद कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक पहल के द्वारा यह समझना होगा कि गरिमा किसी भी सार्थक प्रयास का केंद्रबिंदु है।

नकली और घटिया दवाओं को लेकर बढ़ती चिंता पर दूसरी परामर्श बैठक भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। दवा सुरक्षा को अक्सर मुख्य रूप से एक नियामक मुद्दा

माना जाता है, लेकिन चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि यह मूल रूप से मानव अधिकारों का मुद्दा है। नागरिक इस भरोसे के साथ दवाइयों का सेवन करते हैं कि सार्वजनिक संस्थान उनके स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करेंगे। जब दवाइयां नकली या घटिया होती हैं, तो यह भरोसा गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाता है।

प्रतिभागियों ने पाया कि नकली दवाओं का प्रचलन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में खामियों को दर्शाता है और कभी-कभी इसमें संगठित आपराधिक गिरोह भी शामिल होते हैं। इस खतरे से निपटने के लिए कड़ी निगरानी, समन्वित नियामक प्रवर्तन और गहन जांच की आवश्यकता है। दवाओं की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना स्वास्थ्य के अधिकार और जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए अभिन्न अंग है। दवाओं का उद्देश्य स्वास्थ्य को ठीक करना और उसे बहाल करना होना चाहिए; जब वे इसके बजाय नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसके परिणाम स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं।

संस्थागत कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव अधिकारों की उन्नति युवा पीढ़ी की जागरूकता और भागीदारी पर भी निर्भर करती है। आयोग के ऑनलाइन अल्पकालिक इंटरैक्टिव (OSTI) कार्यक्रम ने देश भर के छात्रों को एक साथ लाकर उन्हें कानूनी ग्रंथों और अदालती फैसलों से परे मानव अधिकारों को समझने का अवसर प्रदान किया। व्याख्यानों, चर्चाओं और संवादात्मक सत्रों के माध्यम से, प्रशिक्षुओं को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है, उनका उल्लंघन कैसे होता है और व्यक्ति एवं संस्थाएँ मिलकर उन्हें कैसे बनाए रख सकते हैं। सहानुभूति, ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देकर, इस तरह की पहल अधिक जागरूक और सक्रिय नागरिकों के लिए आधार मजबूत करती है।

आयोग ने मानव अधिकारों से जुड़ी उभरती चुनौतियों पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के साथ अपना जुड़ाव जारी रखा। इसी संदर्भ में, आयोग ने तमिलनाडु के चेन्नई में स्नेहा द्वारा आयोजित 'आत्महत्या रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और करुणापूर्ण देखभाल' विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सहायता प्रदान की। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और आत्महत्या रोकथाम की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 26 फरवरी 2026 को सम्मेलन का उद्घाटन किया और अकेलेपन, तनाव और भावनात्मक कमजोरी को दूर करने में सक्षम एक समग्र मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी.

रामासुब्रमण्यन ने मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या से संबंधित विकसित हो रहे कानूनी ढांचे पर प्रकाश डालते हुए एक विचारोत्तेजक भाषण दिया। चर्चाओं में सामाजिक प्रभावों, मनोवैज्ञानिक कारकों, प्रौद्योगिकी की भूमिका और संवेदनशील समूहों की आवश्यकताओं सहित बहुआयामी दृष्टिकोण से आत्महत्या रोकथाम को संबोधित करने के महत्व पर बल दिया गया। उनके ज्ञानवर्धक भाषणों पर आधारित दो लेख इस न्यूजलेटर के इस अंक में शामिल किए गए हैं।

इस माह के दौरान आयोग द्वारा समर्थित कई गतिविधियों में शिक्षा का विशेष महत्व रहा। विश्वविद्यालयों के साथ हुए संवादों ने इन विचारों को और भी पुष्ट किया। मुकदमों और अकादमिक चर्चाओं जैसे मंचों से पता चलता है कि मानव अधिकार सिद्धांत समकालीन बहसों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अहमदाबाद में, विधि के छात्रों ने पर्यावरण कानून और मानव अधिकारों से संबंधित प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौती भी शामिल थी। चर्चा में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पर्यावरण का क्षरण किस प्रकार संवेदनशील समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करता है और पर्यावरण संरक्षण को न्याय का मुद्दा क्यों माना जाना चाहिए। कर्णावती विश्वविद्यालय में, चर्चाओं में मानव अधिकारों की दार्शनिक जड़ों को भारत की सभ्यतागत परंपराओं से जोड़ा गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि प्राचीन नैतिक सिद्धांत आधुनिक संवैधानिक ढाँचों में भी प्रासंगिक बने हुए हैं।

कई राष्ट्रीय मंचों द्वारा मानव अधिकारों और जन कल्याण के बीच घनिष्ठ संबंध को भी उजागर किया गया। मुझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पांच वर्षों की समीक्षा करने वाली एक उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला, जिसमें समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षण प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विचार-विमर्श में यह पता लगाया गया कि भारतीय शैक्षिक मूल्यों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, और इस बात की पुष्टि की गई कि शिक्षा ऐसे नागरिकों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो जागरूक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार दोनों हों।

एलिवेट और जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य (डब्ल्यूएसएसएच) पर राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे सम्मेलनों ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षित जल और स्वच्छता तक पहुंच स्वास्थ्य, गरिमा और समानता के लिए मूलभूत है। इन बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने से महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सबसे अधिक लाभ होता है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) जैसी पहलें दर्शाती हैं कि कैसे समुदाय-केंद्रित शासन नीतिगत प्रतिबद्धताओं को दैनिक जीवन में सार्थक सुधारों में परिवर्तित कर सकता है।

इस माह के दौरान आयोग की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों द्वारा मानव अधिकार मुद्दों पर रचनात्मक वैश्विक संवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और अधिक स्पष्ट किया गया। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चाओं में सतत विकास, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, जेल सुधार और शिकायत निवारण में संस्थागत सहयोग जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इन वार्ताओं से

विश्वभर के समाजों को प्रभावित करने वाली जटिल चुनौतियों से निपटने में साझा ज्ञान और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के महत्व को बल मिलता है।

अंततः, मानव अधिकार आंदोलन की शक्ति केवल संस्थानों में ही नहीं, बल्कि नागरिकों द्वारा अपनाए गए मूल्यों में भी निहित है। पिछले महीने हुई अनेक चर्चाओं, सम्मेलनों और जागरूकता अभियानों से एक संदेश स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया है: मानव अधिकार रोजमर्रा के कार्यों के माध्यम से ही जीवित होते हैं। कमजोरों की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना और न्याय को बढ़ावा देना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

इस न्यूजलेटर के इस अंक में एनएचआरसी की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी और आयोग के विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटर द्वारा किए गए क्षेत्र दौरों का विवरण भी शामिल है। स्कूलों, छात्रावासों, जेलों, अवलोकन गृहों और आश्रय गृहों के उनके दौरों से जमीनी स्तर पर मानव अधिकारों की स्थिति की बहुमूल्य जानकारी मिलती है। संस्थागत प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने में राज्य मानव अधिकार आयोगों के योगदान को भी उजागर किया गया है।

जागरूकता से कार्रवाई तक का सफर जारी है। अधिकारों को न केवल मान्यता दी जानी चाहिए, बल्कि सक्रिय रूप से संरक्षित और व्यवहार में लाया जाना चाहिए। जब विकास, स्वतंत्रता और न्याय एक साथ आगे बढ़ते हैं, तभी मानवीय गरिमा का वादा साकार होता है। आशा है कि इस अंक में प्रकाशित रिपोर्ट और विचार पाठकों का ज्ञानवर्धन और प्रेरणा प्रदान करेंगे, साथ ही एक अधिक समावेशी और करुणामय भारत के निर्माण की साझा जिम्मेदारी की पुष्टि करेंगे।



[भरत लाल]

विचार-विमर्श

ए नएचआरसी, भारत ने मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए कई कोर समूह गठित किए हैं। इन समूहों में संबंधित मंत्रालयों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। कोर समूह की बैठकों के अलावा, आयोग विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर विविध हितधारकों के साथ खुली चर्चाओं का आयोजन भी करता है। आयोग समय-समय पर मौजूदा ढांचे में मौजूद बाधाओं को दूर करने और संभावित समाधान सुझाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित करता है। फरवरी 2026 में, आयोग ने दो खुली चर्चाओं का आयोजन किया: 24 फरवरी 2026 को 'भिक्षावृत्ति पर पुनर्विचार: नीति, व्यवहार और गरिमा के बीच अंतर को पाटना' और 25 फरवरी 2026 को 'भारत में नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के उपाय'।

भिक्षावृत्ति पर पुनर्विचार: नीति, व्यवहार और गरिमा के बीच अंतर को पाटना'

भारत में भीख मांगना गरीबी, बेघरपन, दिव्यांगता, पलायन और सामाजिक बहिष्कार के जटिल अंतर्संबंधों को दर्शाता है, जिससे गरिमा, आजीविका और बुनियादी अधिकारों तक पहुंच से संबंधित गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। ऐतिहासिक रूप से, विभिन्न राज्य स्तरीय भीख मांगने की रोकथाम संबंधी कानूनों के तहत दंडात्मक ढांचों के माध्यम से इसका समाधान किया जाता रहा है, लेकिन हाल के समय में इस पर चर्चा अधिकार-आधारित और पुनर्वासात्मक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही है। विभिन्न न्यायालयों ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने पर सवाल उठाते हुए इस बात पर जोर दिया है कि गरीबी को अपराध नहीं माना जा सकता और राज्य का यह दायित्व है कि वह सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करे।

केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबी के मूल कारणों को दूर करने के उद्देश्य से पहचान अभियान, आश्रय और पुनर्वास योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ समन्वय जैसे कई प्रयास किए हैं। एनएचआरसी, भारत ने अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मानवीय पुनर्वास, विश्वसनीय डेटाबेस बनाने और कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अंतर-विभागीय समन्वय का समर्थन करते हुए परामर्शी जारी करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिक समाज संगठनों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क, कानूनी पैरवी, समुदाय-आधारित पुनर्वास और आजीविका पुनर्कीकरण प्रयासों के माध्यम से इसमें अपना योगदान दिया है। इस पृष्ठभूमि में, जानकारीपूर्ण, समन्वित और मानव अधिकारों के अनुरूप समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए यह परामर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है।



► नई दिल्ली में 'भिक्षावृत्ति पर पुनर्विचार: नीति, व्यवहार और गरिमा के बीच अंतर को पाटना' विषय पर आयोजित ओपन हाउस चर्चा के दौरान एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि, साथ में सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ

चर्चा की अध्यक्षता करते हुए, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने कहा कि भीख मांगना एक सामाजिक बुराई है और देश में एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश में भी भीख मांगने की समस्या का बने रहना एक गहरी संरचनात्मक और सामाजिक चुनौती को दर्शाता है, जिस पर तत्काल और निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने भीख मांगने को केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक बुराई बताया जो समाज के कमजोर वर्गों की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करती है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के अधिकार का संवैधानिक वादा सभी नागरिकों के लिए सार्थक रूप से पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें भीख मांगने वाले भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, संरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने भीख मांगने की समस्या से निपटने के लिए कानून बनाए हैं। हालांकि, केवल कानूनी प्रावधानों का होना ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि ऐसे कानूनों के वास्तविक परिणामों का आकलन न किया जाए, विशेष रूप से पुनर्वास, पुनर्कीकरण और जमीनी स्तर पर मापने योग्य सुधारों के संदर्भ में।

न्यायमूर्ति षडंगि ने इस बात पर जोर दिया कि यह जांच करना आवश्यक है कि भीख मांगने में लगे गरीब, अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित



► ओपन हाउस चर्चा जारी

एनएचआरसी की परामर्शी (2024) और भारत सरकार की स्माइल-बी योजना (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को सहायता) के इच्छित उद्देश्यों से सार्थक परिवर्तन हुआ है या नहीं। उन्होंने इन उपायों की प्रगति की समीक्षा करने और कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भीख मांगने को कम करने और अंततः समाप्त करने के लिए समानता, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित अधिकार-आधारित, पुनर्वास-उन्मुख रणनीति की आवश्यकता है।

एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने भीख मांगने के संदर्भ में महिलाओं, बच्चों और श्रम से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए स्पष्ट समयसीमा और जवाबदेही तंत्र के साथ एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित करने और व्यापक डेटा सर्वेक्षण करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि विश्वसनीय डेटा के बिना प्रभावी नीति निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने भीख मांगने वाले माफियाओं और मानव दुर्व्यापार नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया और इस बात पर बल दिया कि अल्पकालिक, अस्थायी उपायों के बजाय दीर्घकालिक पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अपने संबोधन में, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने इस बात पर जोर दिया

कि भारत अपने सुदृढ़ कानूनी ढांचे और संवैधानिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, जो सभी नागरिकों के सम्मान और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकारी अधिकारी अकेले इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते और उन्हें गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि सरकार अक्सर क्षेत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करती है, फिर भी जमीनी स्तर से ऊपर की ओर दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है सामाजिक समावेश के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक समय में एक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना।

श्री लाल ने इस मुद्दे को अभियान के रूप में उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समावेशी भारत में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को लोगों से सरकारी कार्यालयों में आने की अपेक्षा करने के बजाय, आधार कार्ड जारी करने के लिए स्वयं पहल करनी चाहिए। उन्होंने भीख मांगने में लिप्त व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर भी बल दिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार श्रीमती योगिता स्वरूप ने भीख

मांगने में लगे व्यक्तियों से संबंधित 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर प्रकाश डाला और उनके पुनर्वास, शिक्षा एवं कौशल विकास के उद्देश्य से शुरू की गई प्रमुख पहलों, जिनमें स्माइल योजना भी शामिल है, की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने सभा को भीख मांगने से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के बारे में जानकारी दी और गरिमा एवं सतत पुनर्पंजीकरण पर केंद्रित 'भीख मुक्त भारत' के दृष्टिकोण को दोहराया।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के उप महानिदेशक श्री शैलेंद्र सिंह ने जरूरतमंद व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों और दिव्यांगजनों को आधार कार्ड उपलब्ध कराने के लिए UIDAI की पहलों पर प्रकाश डाला, जिससे वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के परामर्श से जारी की गई दो मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। उन्होंने आश्रय गृहों में UIDAI द्वारा आयोजित जागरूकता शिविरों के साथ-साथ इन प्रक्रियाओं के व्यापक प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया।

कोशिश ट्रस्ट के संस्थापक मोहम्मद तारिक ने कहा कि भिखारियों से निपटने के मामले में सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने अधिक संवेदनशील और प्रभावी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के महत्व पर बल दिया।

इससे पहले, बैठक का एजेंडा तय करते हुए, एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव, श्रीमती साइडिंपुई छकछुआक ने 'भिक्षावृत्ति प के दायरे और चुनौतियों का समाधान', 'डेटा, प्रलेखन और जमीनी हकीकत' और 'पुनर्वास, रोजगार और दीर्घकालिक समाधान' सहित तीन तकनीकी सत्रों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।

चर्चा में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों में एनएचआरसी, भारत की महानिदेशक (अन्वेषण), श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र; रजिस्ट्रार (विधि), श्री जोगिंदर सिंह; संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार;

दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त श्री अजय चौधरी; यूआईडीआई के उप महानिदेशक श्री शैलेंद्र सिंह; केरल सरकार के कोझिकोड जिले के जिला कलेक्टर श्री स्नेहल कुमार सिंह; यूआईडीआई के निदेशक कर्नल निखिल सिन्हा; एनआईएसडी के उप निदेशक (टी एंड बी) डॉ. आर. गिरि राज; राजस्थान सरकार की अतिरिक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, रीना शर्मा; उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की उप निदेशक श्रीमती सुनीता यादव; सामाजिक सुरक्षा के अधीक्षक श्री जाकिर हुसैन; महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त आयुक्त राहुल मोरे; अधिवक्ता फौजान अल्वी; टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर विजय राघवन; भिखारी निगम के निदेशक श्री चंद्र मिश्रा; कोशिश ट्रस्ट के संस्थापक मोहम्मद तारिक; ग्रामीण एवं नगर विकास परिषद के संस्थापक श्री राम किशोर शामिल थे। श्री नवीन कुमार, निदेशक, अत्चयम ट्रस्ट; श्री शरद पटेल, संस्थापक, बदलाव और सुश्री श्वेता सहगल, सलाहकार, एनआईएसडी शामिल थे।

चर्चाओं से निकले कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार थे:

- दंडात्मक प्रावधानों से हटकर अपराधमुक्ति और सामाजिक सुरक्षा-आधारित हस्तक्षेपों की ओर बढ़ना;
- मौजूदा कानूनों और योजनाओं के आवधिक प्रभाव आकलन करें;
- भीख मांगने की समस्या पर एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करें जिसमें निर्धारित समयसीमा, भूमिकाएं, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और मापने योग्य परिणाम शामिल हों;
- भीख मांगने की समस्या के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित करें जिसमें पहचान, सेवा वितरण, ट्रेकिंग और पुनर्वास परिणामों को एकीकृत किया गया हो;
- लिंग, आयु, दिव्यांगता, क्षेत्र के आधार पर विखंडित, वास्तविक समय का डेटा उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण और हॉटस्पॉट मानचित्रण अभ्यास करें;
- आश्रय स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में शिविर आधारित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आधार नामांकन में तेजी लाएं, जिससे बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सके;
- सुरक्षित डिजिटल अभिसरण के माध्यम से कल्याणकारी डेटाबेस के साथ पहचाने गए व्यक्तियों को लिंक करें;
- समयबद्ध लक्ष्यों के साथ अभियान मोड में रणनीति को लागू करें;
- SMILE-B (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता) के कार्यान्वयन को स्पष्ट पुनर्वास मार्गों के साथ मजबूत करें;
- संगठित भिक्षावृत्ति गिरोहों और दुर्व्यापार नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करें;
- पुलिस, नगर पालिका अधिकारियों, सामाजिक कल्याण अधिकारियों और आश्रय गृह कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों को संस्थागत रूप देना ताकि दंडात्मक दृष्टिकोण से हटकर गरिमा-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर दृष्टिकोण में परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके; और
- पहचान, संपर्क, परामर्श और अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी को औपचारिक रूप दें।

भारत में नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के उपाय

भारत में नकली, घटिया और मिलावटी दवाओं का मुद्दा जन स्वास्थ्य और रोगी सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसका जीवन के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। असुरक्षित और अप्रभावी दवाओं का प्रचलन न केवल उपचार परिणामों को प्रभावित करता है, बल्कि स्वास्थ्य प्रणालियों और नियामक संस्थानों में जनता के विश्वास को भी कम करता है। भारत विश्व के सबसे बड़े दवा उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है, इसलिए दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन कमजोर आबादी के लिए जिनके पास अपनी दवाओं की जांच या उन पर सवाल उठाने के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है।


भारत में न्यायिक निर्णयों में लगातार इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण



► एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड्गि ओपन हाउस चर्चा की अध्यक्षता करते हुए

दवाओं तक पहुंच अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक गारंटी का एक अभिन्न अंग है। न्यायालयों ने नियामक निरीक्षण को मजबूत करने, नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोकने

और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले उल्लंघनों के लिए जवाबदेही लागू करने के राज्य के दायित्व पर जोर दिया है।



► चर्चा जारी

इसके जवाब में, भारत सरकार और राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों ने लाइसेंसिंग और निरीक्षण तंत्र को मजबूत करने, फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रमों को बढ़ाने, बाजार निगरानी का विस्तार करने, डिजिटल ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम को बढ़ावा देने और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत कठोर दंड निर्धारित करने सहित कई उपाय किए हैं। एनएचआरसी, भारत ने परामर्शी, हितधारक परामर्श और नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम किया है, जिसमें अधिकार-आधारित नियामक ढांचा, पीड़ित-केंद्रित उपाय और बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय का समर्थन किया गया।

नागरिक समाज संगठनों, उपभोक्ता अधिकार समूहों और पेशेवर संस्थाओं ने जागरूकता पहलों, स्वतंत्र निगरानी और पारदर्शिता एवं जवाबदेही की वकालत के माध्यम से इन प्रयासों को बल दिया है। इन प्रयासों के बावजूद, आंकड़े और जमीनी आकलन बताते हैं कि नकली दवाओं का पता लगाने, रिपोर्टिंग, प्रवर्तन और उपभोक्ता जागरूकता में लगातार कमियां मौजूद हैं। इसी पृष्ठभूमि में, भारत में नकली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए मौजूदा चुनौतियों का विश्लेषण करने और कार्रवाई योग्य उपायों की पहचान करने हेतु परामर्श बैठक आयोजित की गई थी।

चर्चा की अध्यक्षता करते हुए, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश

में, यदि अलग-थलग नियामक चुनौतियों का निर्णायक और व्यवस्थित तरीके से समाधान नहीं किया जाता है, तो वे बड़े पैमाने पर मानवीय पीड़ा का कारण बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि नकली, घटिया और मिलावटी दवाओं से उत्पन्न बढ़ता खतरा और जीवन एवं स्वास्थ्य के अधिकार पर इसका सीधा प्रभाव, मानव अधिकार उल्लंघन के इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए समन्वित, बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई की मांग करता है।

एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने घटिया उपचार के मानवीय नुकसान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार के एक सदस्य को अनुचित उपचार और घटिया दवाओं के इस्तेमाल के कारण स्थायी रूप से दृष्टि हानि का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दवा प्रणाली में मजबूत निगरानी और जवाबदेही तंत्र स्थापित करके इस मुद्दे का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

एनएचआरसी, भारत के पूर्व सदस्य श्री राजीव जैन ने प्रवर्तन और निवारण को मजबूत करने के लिए, आरोग्यियों के त्वरित परीक्षण हेतु विशेष औषधि न्यायालयों की स्थापना; वास्तविक समय में औषधि परीक्षण तंत्र; अनिवार्य क्यूआर कोड और ब्लॉकचेन आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रमाणीकरण सहित ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के अनिवार्य उपयोग; वितरण पैटर्न में एआई-आधारित विसंगति का पता लगाने;

औचक निरीक्षण; मुखबिरों की सुरक्षा को मजबूत करने; डिजिटल केस ट्रैकिंग; नकली दवाओं के मामलों पर एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण; बेहतर सार्वजनिक हेल्पलाइन और ई-प्रिस्क्रिप्शन से संबंधित नियामक सुरक्षा उपायों की जांच पर भी जोर दिया।

इससे पहले, विचार-विमर्श की दिशा तय करते हुए, एनएचआरसी भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने इस बात पर जोर दिया कि चर्चा नकली दवाओं पर केंद्रित है, लेकिन नकली और घटिया दोनों तरह की दवाएं जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावित करती हैं। उन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए समन्वित संस्थागत कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नागरिक सद्भावना से दवाओं का सेवन करते हैं, राज्य के जीवन और गरिमा की रक्षा करने के दायित्व पर भरोसा करते हुए, और चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की चूक पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। 'दवाओं का उद्देश्य उपचार करना है, नुकसान नहीं' पर बल देते हुए, उन्होंने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 17-बी के तहत परिभाषित विभिन्न रूपों में 'नकली दवाओं' और 'घटिया दवाओं' (गुणवत्ता मानकों/विनिर्देशों को पूरा न करने वाले अधिकृत उत्पादों) के बीच स्पष्ट अंतर को भी उजागर किया। राष्ट्रीय औषधि सर्वेक्षण का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि सरकारी नमूनों में से लगभग 10% घटिया पाए गए।

श्री लाल ने आगे कहा कि नकली दवाओं का उत्पादन और वितरण आपराधिक गतिविधियों के तहत किया जाता है और इनका कोई स्पष्ट निर्माता नहीं होता, जिसके लिए आपराधिक जांच की आवश्यकता होती है, जबकि घटिया दवाओं के निर्माताओं का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नकली दवाओं के कथित सेवन से मानव अधिकारों के उल्लंघन की ऐसी घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेने में एनएचआरसी बहुत सक्रिय रहा है। इस संदर्भ में, उन्होंने अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं नियामक प्राधिकरणों को भेजे गए अपने हालिया नोटिस का उल्लेख किया, जो मीडिया रिपोर्टों के बाद भेजा गया था जिसमें कथित तौर पर दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत

की बात कही गई थी। आयोग ने एक व्यापक आपूर्ति श्रृंखला जांच का निर्देश दिया और राज्य प्रयोगशालाओं को नमूना परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया, साथ ही समन्वित नियामक कार्रवाई की तात्कालिकता पर जोर दिया।

इस विषय पर व्यापक शोध कर चुके एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक डॉ. केशव कुमार ने निगरानी बढ़ाने, केंद्रीय और राज्य स्तरीय कार्यबल गठित करने, नियामक अनुपालन को मजबूत करने, अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार करने, कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने, पीड़ितों को मुआवजा देने की व्यवस्था लागू करने और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नकली दवाओं के मामलों में कम दोषसिद्धि दर, जांच और निर्णय में भारी देरी और कुछ खरीद चैनलों में निम्न गुणवत्ता वाले नमूनों की अधिकता जैसे रुझानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'नकली दवाओं' - जाली, नकली या जानबूझकर गलत लेबल वाले उत्पादों - और 'निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं' - ऐसे असली उत्पादों जो निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते - के बीच स्पष्ट अंतर करना आवश्यक है।

गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री निष्ठा तिवारी ने नकली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस मुद्दे के समाधान के महत्व को भी रेखांकित किया। संयुक्त औषधि नियंत्रक (डीसीजीआई) श्री चंद्रशेखर रंगा ने औषधि नियामक प्राधिकरणों द्वारा पहले से ही उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला, जिनमें समन्वित निरीक्षण, निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना और औषधि निरीक्षकों के प्रशिक्षण को बढ़ाना शामिल है। उन्होंने उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। 'द टुथ पिल' के लेखक श्री प्रशांत रेड्डी टी. ने कठोर गुणवत्ता आश्वासन और पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विनियामक और जैव-समतुल्यता संबंधी चिंताओं को भी उजागर किया और कहा कि सभी जेनेरिक दवाएं मूल दवा के समान व्यवहार नहीं करती हैं।

इस चर्चा में हाल के प्रवर्तन रुझानों की भी समीक्षा की गई, जिनमें अंतर-राज्यीय समन्वित जांच, नकली दवाओं के मामलों में संगठित अपराध प्रावधानों का उपयोग और अभियोजन, पुलिस क्षेत्राधिकार, पीड़ित अधिकारों और परीक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विकसित होते न्यायशास्त्र शामिल हैं। प्रतिभागियों को आयोग को आगे विस्तृत सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया ताकि एनएचआरसी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे सके।

अन्य बहु-हितधारक प्रतिभागियों में एनएचआरसी, भारत की महानिदेशक (अन्वेषण), श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र; रजिस्ट्रार (विधि), श्री जोगिंदर सिंह; संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार, श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक; राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एआईजी, सुश्री अनुपमा जेम्स; एनपीपीए के अध्यक्ष, श्री पी. कृष्णमूर्ति; एनपीपीए की सदस्य सचिव, सुश्री साई अहलादिनी पांडा; इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस के सेवानिवृत्त आईपीएस डॉ. केशव कुमार; एफडीए के सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, श्री ओम प्रकाश साधवानी; खाद्य एवं औषधि नियंत्रक प्रशासन (एफडीसीए) के उप आयुक्त डॉ. एनआर सैयद; एनएफएसयू के स्कूल ऑफ फार्मसी की डीन डॉ. भूमिका पटेल; एसएलबी मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. पी.के. शर्मा; एम्स कल्याणी के अध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ.) योगेंद्र कुमार गुप्ता; और एएसपीए के अध्यक्ष श्री अंकित गुप्ता, श्री हरीश के. जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स (एफओपीई); श्री नरेंद्र आहूजा, नियामक सलाहकार, एफओपीई; श्री संदीप सिकारिया, एफओपीई; डॉ. इलियास केपीए, उप निदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) और श्री दुबे पाटिल, एफडीए आयुक्त, महाराष्ट्र शामिल थे।

चर्चाओं से निकले कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार थे:

- नकली और घटिया दवाओं पर एक व्यापक, केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रवर्तन एजेंसियों, नियामकों और राज्यों से प्राप्त जानकारीयों को एकीकृत किया जाए;

- भविष्यसूचक विश्लेषण, पैटर्न पहचान, आपूर्ति-श्रृंखला मानचित्रण और प्रारंभिक जोखिम पहचान को सुगम बनाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप किए जाने चाहिए;
- संरचित और आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ड्रग निरीक्षकों की क्षमता निर्माण को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए;
- प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा अपनाई गई क्षेत्र-स्तरीय जांच प्रक्रियाओं को दस्तावेजित करने के लिए एक औपचारिक प्रतिक्रिया तंत्र शुरू किया जा सकता है, जिसमें साक्ष्य संग्रह, अभियोजन रणनीति और अंतर-एजेंसी समन्वय शामिल हैं, ताकि इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर अपनाने के लिए एक आदर्श प्रोटोकॉल के रूप में कार्य किया जा सके;
- एक सतत और खुफिया जानकारी पर आधारित सतर्कता ढांचा आवश्यक है। निवारक निगरानी, बाजार नमूनाकरण और समन्वित निरीक्षणों को मजबूत किया जाना चाहिए, जिसमें बार-बार अपराध करने वालों और कमजोर आपूर्ति-श्रृंखला बिंदुओं की पहचान पर जोर दिया जाना चाहिए;
- प्रभावी नियामक प्रदर्शन प्रदर्शित करने वाले राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए, उनका मानकीकरण किया जाना चाहिए और अंतर-राज्य समन्वय प्लेटफार्मों के माध्यम से विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में दोहराया जाना चाहिए;
- नकली और घटिया दवाओं की निगरानी और उनसे निपटने के लिए समर्पित एक समन्वित केंद्र-राज्य संयुक्त प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है; और
- यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) न्यायालयों या अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों को सक्षम सत्र न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को ध्यान में रखते हुए जिसमें कहा गया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराधों की सुनवाई विशेष रूप से सत्र न्यायालयों द्वारा की जा सकती है।


लेख

सहायक मानसिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

- श्री राम नाथ कोविंद

भारत के पूर्व राष्ट्रपति

(26 फरवरी 2026 को चेन्नई, तमिलनाडु में एनएचआरसी के सहयोग से SNEHA द्वारा आयोजित आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति के भाषण के अंश।)



ह

मारी सभ्यतागत समझ हमें याद दिलाती है कि मानसिक पीड़ा कोई नई बात नहीं है। महाभारत के 'द्युत पर्व' में, 'राजसूय यज्ञ' के बाद, राजा युधिष्ठिर निराशा से व्याकुल हो गए थे। अर्जुन ने ही उन्हें सलाह दी थी: 'निराशा के आगे मत झुको, क्योंकि यह बुद्धि को नष्ट कर देती है।' प्राचीन काल में भी, भावनात्मक

पीड़ा को समझा जाता था और उसकी निंदा करने के बजाय परामर्श दिया जाता था।

इसी प्रकार, महात्मा गांधी ने हमें याद दिलाया: 'स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सेवा में स्वयं को विलीन कर देना है।' सेवा का दर्शन दान नहीं, बल्कि एकजुटता है। फिर भी, इन प्रयासों के बावजूद, आइए हम अपने सामने मौजूद इस कड़वी सच्चाई का सामना करें कि विभिन्न कारणों से मानसिक तनाव के कारण होने वाली आत्महत्या भारत में एक गंभीर, रोकी जा सकने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जो मानव जीवन, परिवारों और हमारे देश को भारी क्षति पहुंचाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार, एक लाख इकहतर हजार से अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गईं।

व्यापक संदर्भ में, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं एक विशाल आबादी को प्रभावित करती हैं, फिर भी सामाजिक कलंक के कारण कई लोग मदद लेने से हिचकते हैं। यह केवल एक स्वास्थ्य चुनौती नहीं है; यह अनुच्छेद 21 के तहत हमारे संवैधानिक जीवन के अधिकार से जुड़ा एक राष्ट्रीय दायित्व है। इसलिए, आत्महत्या की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए।

भारत को वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, हमें उन व्यवस्थागत कमियों, असमानताओं, सहानुभूति की कमी, तीव्र शहरीकरण और सामाजिक अलगाव को दूर करना होगा जो इस संकट को बढ़ावा देते हैं। आत्महत्याओं को रोकना जीवन बचाता है, पारिवारिक बोझ को कम करता है और कमजोर वर्ग में लचीलापन पैदा करता है, जिससे सामाजिक प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 है, विशेष रूप से धारा 115, जो गंभीर तनाव को मानकर आत्महत्या के प्रयासों को अपराध की श्रेणी से बाहर करती है और आईपीसी की धारा 309 के तहत सजाओं को समाप्त करती है। यह अधिनियम देखभाल, पुनर्वास और रोकथाम को प्राथमिकता देता है, साथ ही किफायती पहुंच, सूचित सहमति,

अग्रिम निर्देश, क्रूरता से सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

हाल के घटनाक्रम, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी शामिल हैं, इस बदलाव को और मजबूत करते हैं। 2025 में, न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मानसिक स्वास्थ्य को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जिससे कलंक की जगह समावेशिता की ओर कदम बढ़ा। इससे पहले के फैसलों के परिणामस्वरूप छात्र आत्महत्याओं पर एक राष्ट्रीय कार्य बल की स्थापना हुई और शिक्षण संस्थानों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति अनिवार्य की गई। ये कदम आत्महत्या को अपराध मानने से लेकर व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करने और समावेशी समर्थन को बढ़ावा देने तक एक गहरा बदलाव दर्शाते हैं। फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं - कार्यान्वयन में कमियां और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

छात्रों में परीक्षा के दबाव और शैक्षणिक तनाव के कारण दिल दहला देने वाली मौतें हुई हैं। दुख की बात है कि 2013 से 2023 तक छात्र आत्महत्याओं में 65% की वृद्धि हुई है, और अकेले 2023 में ही 13,500 से अधिक मामलों के साथ यह एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि 'मैं एक ऐसे युवा छात्र के बारे में सोचता हूँ, जो परीक्षा की निराशा, जीवन की अनिश्चितताओं और भविष्य की संभावनाओं से व्याकुल था, जिसे करुणा के एक छोटे से कार्य से बचाया जा सकता था।'

इंजीनियर और डॉक्टर जैसे युवा पेशेवर कड़ी प्रतिस्पर्धा, अत्यधिक तनाव और लगातार बढ़ते दबाव से जूझ रहे हैं। बुजुर्ग अकेलेपन, अलगाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं। शरणार्थी और कैदी, विशेष रूप से कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभावों के कारण, तेजी से असुरक्षित होते जा रहे हैं। विवाहित महिलाओं को विशेष रूप से विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, 2021 में 45,000 से अधिक मामले सामने आए, जिनमें से लगभग आधे गृहिणियों में थे, जो घरेलू हिंसा, सामाजिक अपेक्षाओं और लैंगिक असमानताओं के कारण थे। ये केवल आंकड़े नहीं हैं। ये खोए हुए जीवन, बिखरे हुए परिवार और अप्रयुक्त क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आत्महत्या की रोकथाम केवल मनोचिकित्सकों की जिम्मेदारी नहीं है; यह समाज की जिम्मेदारी है। कुछ दशक पहले आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसानों में आत्महत्या की दर बहुत अधिक थी। हम सब एक साथ आए। सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए। परिणामस्वरूप, इस संकट का काफी हद तक समाधान हो गया है। इससे पता चलता है कि यदि हम सब एक साथ

मिलकर काम करें, तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

हमें हेल्पलाइन और परामर्श केंद्रों जैसी सेवाओं का विस्तार करना चाहिए और खुली, ईमानदार बातचीत के माध्यम से सामाजिक कलंक को कम करना चाहिए। संवाद, जागरूकता और समर्थन के लिए सुरक्षित स्थान बनाकर, इस तरह की पहल मदद मांगने की स्वीकार्यता को बढ़ावा देती है, सामाजिक कलंक को कम करती है और सामुदायिक नेटवर्क को मजबूत करती है।

प्रभावी रोकथाम के मूल में करुणापूर्ण देखभाल, प्रारंभिक हस्तक्षेप और सशक्त सामुदायिक सहयोग निहित है। करुणापूर्ण देखभाल की शुरुआत बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनने से होती है, जो अलगाव को जुड़ाव में बदल देती है – जैसा कि तमिलनाडु स्थित गैर-सरकारी संगठन सोशल नीड एजुकेशन एंड ह्यूमन अवेयरनेस (SNEHA) के 'लिंग विद लाइफ' मॉडल में देखा जा सकता है। 1980 के दशक में स्थापित SNEHA तटीय समुदाय कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण और आत्महत्या रोकथाम तक विभिन्न सामाजिक कार्यों में कार्यरत है। यह हाशिए पर रहने वाले समूहों, विशेष रूप से मछुआरों, महिलाओं और मानसिक रूप से परेशान व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली बन गई है, जो सतत आजीविका कार्यक्रम, कौशल विकास पहल और अपनी 24/7 आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करती है। इसका समग्र दृष्टिकोण गरिमा, समानता और लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो इसे तमिलनाडु में सामाजिक विकास का एक आधार स्तंभ बनाता है।

चार दशकों से अधिक समय से, स्वयंसेवकों द्वारा संचालित इस आंदोलन ने अपनी हेल्पलाइन, ईमेल, चैट और व्यक्तिगत सेवाओं के माध्यम से संकट में फंसे 15 लाख से अधिक लोगों तक पहुँच बनाई है - ये सेवाएं बिना किसी अवकाश के, हर दिन उपलब्ध हैं। यह केवल सेवा प्रदान करना नहीं है; यह समर्पण है। यह मॉडल दर्शाता है कि सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सुनना तात्कालिक जोखिम को कम करता है और जुड़ाव की भावना को पुनर्स्थापित करता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए हमें चेतावनी के संकेतों को पहचानना आवश्यक है अलगाव, अचानक मनोदशा में परिवर्तन, निराशा की अभिव्यक्ति, या मादक पदार्थों के सेवन में वृद्धि। सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देना अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। सामुदायिक समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुशंसित गेटकीपर प्रशिक्षण शिक्षकों, परिवारों और सहकर्मियों को जरूरतमंद लोगों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए सशक्त बनाता है।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा में एनएचआरसी, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका सराहनीय है। कैदियों में आत्म-हानि की रोकथाम पर एनएचआरसी की 2023 की परामर्शी में आत्महत्या निगरानी प्रोटोकॉल, गेटकीपर प्रशिक्षण, विशेषज्ञ परामर्श और व्यापक रोकथाम कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। इसमें यह रेखांकित किया गया है कि प्रत्येक जीवन, यहां तक कि हिरासत में भी, सहानुभूतिपूर्ण हस्तक्षेप का हकदार है।

इसी आधार पर, आयोग की कोविड-19 के दौरान जारी की गई 2020 की परामर्शी और इसके 2023 के व्यापक दिशानिर्देश आयुष्मान भारत के तहत बीमा समावेशन, सीएसआर पहल, कानूनी सहायता, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष बुनियादी ढांचा और पुनर्वास गृहों का समर्थन करते हैं।

जानकारी मिली है कि एनएचआरसी ने भारत के सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया और 'मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के कार्यान्वयन की स्थिति' शीर्षक से अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की, जिसमें इन संस्थानों के कार्यान्वयन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। 2023 में प्रकाशित उनकी पुस्तक 'मानसिक स्वास्थ्य: सभी के लिए चिंता' में कलंक, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों को संबोधित किया गया है, जो मानसिक स्वास्थ्य में मानव अधिकारों के प्रति एनएचआरसी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

भारत सरकार ने महत्वपूर्ण नीतियों और पहलों के साथ कदम बढ़ाया है। जागरूकता अभियानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकरण के माध्यम से, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम सुलभता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। टेली-मानस 20 से अधिक भाषाओं में 24/7 टोल-फ्री सहायता प्रदान करता है, जिससे संकट में फंसे लोगों को तत्काल सहायता मिलती है।

हालांकि हाल के समय में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, हमें यह स्वीकार करना होगा कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। चुनौती की व्यापकता को देखते हुए निरंतर जनभागीदारी और सरकार, नागरिक समाज, संस्थानों, कार्यस्थलों, परिवारों और समुदायों के बीच मजबूत समन्वय की आवश्यकता है।

हमें संकट के संकेतों को पहचानना चाहिए और सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमें व्यापक रूप से गेटकीपर प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए और सेवाओं का विस्तार करते हुए 24/7 हेल्पलाइन, स्कूल और कार्यस्थल कार्यक्रम और बुजुर्गों के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत को सामान्य बनाकर कलंक को कम करने के लिए काम करना चाहिए। हमें प्राथमिक देखभाल, शिक्षा और नीतिगत ढांचों में रोकथाम को एकीकृत करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

इसके अलावा, हमें अपने परिवारों में खुले संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए काम करना चाहिए। हमारे शिक्षकों को परामर्श सेवाएं लागू करनी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को शीघ्र रेफरल को प्राथमिकता देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कंपनियों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए और मीडिया को जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने और आशा और पुनर्प्राप्ति की कहानियों को उजागर करने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

हम सभी को एक ऐसा मित्र बनने का प्रयास करना चाहिए जो दूसरों की स्थिति को समझे, एक ऐसा अभिभावक जो उनकी बात सुने और एक ऐसा सहकर्मी जो उनका हालचाल पूछे, क्योंकि कभी-कभी किसी का जीवन बचाने के लिए असाधारण शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए केवल मानवीय सहानुभूति की आवश्यकता होती है। साथ मिलकर, हम एक ऐसा सशक्त भारत बना सकते हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को हमारे प्राचीन ज्ञान: वसुधैव कुटुंबकम - यानी विश्व एक परिवार है जहाँ किसी को भी अकेले निराशा का सामना नहीं करना चाहिए - की भावना से प्रेरित होकर मूल्यवान और समर्थित महसूस किया जाए। यही हमारे संवैधानिक नैतिकता की सच्ची भावना है, बंधुत्व की अवधारणा है, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के साथ मिलकर हमारे संविधान की आत्मा का निर्माण करती है। आइए, एक ऐसा भारत बनाएँ जहाँ आशा निराशा से अधिक प्रबल हो, जहाँ करुणा कलंक पर विजय प्राप्त करे और जहाँ प्रत्येक जीवन मूल्यवान हो।

आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य

-न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन,

अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

(26 फरवरी 2026 को चेन्नई, तमिलनाडु में एनएचआरसी के सहयोग से SNEHA द्वारा आयोजित आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन में न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन के भाषण के अंश)



परंपरागत रूप से, विश्वभर के समाजों और धर्मों में आत्महत्या को पाप माना गया है। प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। ईशा उपनिषद (श्लोक 3) उन लोगों की निंदा करता है जो "आत्महत्या" करते हैं, और उन्हें अंधकारमय, राक्षसी लोकों में भेज देता है। इसी प्रकार, गरुड़

पुराण फांसी या विष से आत्महत्या को एक "प्रेतमय" अस्तित्व की ओर ले जाने वाला बताता है, जहाँ आत्मा अपनी नियत मृत्यु तक एक सूक्ष्म शरीर में फंसी रहती है। इस प्रकार, धर्म ने ऐतिहासिक रूप से आत्महत्या को नैतिक उल्लंघन और दैवीय दंड द्वारा लागू आध्यात्मिक परिणाम दोनों के रूप में परिभाषित करके इसे हतोत्साहित किया है।

जहाँ धर्म ने बड़े पैमाने पर एक सुसंगत रुख बनाए रखा है, वहीं दुनिया भर में समय के साथ कानून निर्माताओं और अदालतों के विचारों में एक छोर से दूसरे छोर तक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। जेम्स एम. केर, जो 19वीं सदी के अंत में आपराधिक कानून पर आधिकारिक शोध प्रबंध लिखने वाले अमेरिकी वकील थे, उन्होंने अपनी पुस्तक "ट्रीटाइज ऑन द लॉ ऑफ होमिसाइड" में इस प्रकार कहा है:

इंग्लैंड के सामान्य कानून के अनुसार, आत्महत्या को ईश्वर और मनुष्य दोनों के कानूनों के विरुद्ध अपराध माना जाता था: 'एक आध्यात्मिक अपराध, सर्वशक्तिमान के विशेषाधिकार से बचने और अनावश्यक रूप से उनकी उपस्थिति में जाने के कारण; दूसरा सांसारिक अपराध, राजा के विरुद्ध, जिसका अपने सभी प्रजाजनों के संरक्षण में हित होता है; और इसलिए कानून ने इसे सबसे जघन्य अपराधों में रखा है।'

इंग्लैंड के सामान्य कानून के तहत, आत्महत्या को सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाता था। आत्महत्या करने वालों को पवित्र भूमि में दफनाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें चौराहों पर दफनाया जाता था, अक्सर उनके शरीर में एक खूंटी गाड़ दी जाती थी। इस क्रूर प्रथा को अंततः 1823 के आत्महत्या दफन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसे आमतौर पर दफनाने का अधिकार अधिनियम, 1823 के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस कानून ने पवित्र भूमि में दफनाने की अनुमति दी, लेकिन इसमें यह प्रतिबंध भी लगाया गया कि ऐसे दफन रात 9 बजे से आधी रात के बीच और ईसाई रीति-रिवाजों के बिना ही होने चाहिए।

इसके बाद, अंत्येष्टि (आत्महत्या) अधिनियम 1882 ने आगे सुधार करते हुए आत्महत्या से मरने वाले व्यक्तियों (कानूनी रूप से आत्महत्या कहा जाता है)

को किसी भी समय पूर्ण धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति दी। हालांकि, आत्महत्या स्वयं इंग्लैंड में 1961 के आत्महत्या अधिनियम के लागू होने तक एक आपराधिक अपराध बना रहा, जिसने आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, लेकिन "आत्महत्या में सहभागिता" या आत्महत्या में सहायता के लिए आपराधिक दायित्व को बरकरार रखा।

हालांकि, कानून निर्माताओं को यह समझने में देरी हुई कि आत्महत्या के व्यवहार को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन भारत और अन्य जगहों की अदालतों ने इस विषय पर अधिक सूक्ष्म समझ विकसित करना शुरू कर दिया। कनेक्टिकट म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाम ग्रूम के शुरुआती मामले में, अदालत ने टिप्पणी की:

"इच्छाशक्ति के नियंत्रण और संयम से परे, इतने प्रबल उन्मादपूर्ण आवेगों के वशीभूत होकर की गई हत्या, बीमारी का परिणाम है, जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति नैतिक रूप से उतना ही उत्तरदायी नहीं है जितना कि वह किसी अन्य बीमारी के लिए होता है जिससे मनुष्य की मृत्यु होती है।"

भारत में, औपनिवेशिक भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 309 के तहत आत्महत्या को अपराध घोषित किया गया था, जिसमें आत्महत्या के प्रयास के लिए एक वर्ष तक की साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। इस प्रावधान ने एक विचित्र कानूनी विरोधाभास उत्पन्न कर दिया। आपराधिक कानून इस सिद्धांत पर आधारित है कि आरोपी की मृत्यु होने पर अभियोजन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार, आत्महत्या में सफल होने वाले व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जबकि असफल होने वाले व्यक्ति को सजा का सामना करना पड़ सकता है।

इस विरोधाभास के कारण पी. रथिनम बनाम भारत संघ (1994) में संवैधानिक चुनौती उत्पन्न हुई, जहाँ संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में धारा 309 पर प्रश्न उठाया गया, जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। न्यायमूर्ति बी.एल. हंसारिया ने अपने मत में इस विरोधाभास को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया:

"यदि मरने का निर्णय लिया जाए और उसे अंजाम देकर मृत्यु हो जाए, तो मामला यहीं समाप्त हो जाता है। मृतक पीड़ा, दर्द और कष्ट से मुक्त हो जाता है और हमारे कानून के तहत कोई भी बुरा परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति दुर्भाग्यवश बच जाता है, तो आत्महत्या का प्रयास करने पर उसे जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि यह हमारे दंड संहिता की धारा 309 के तहत दंडनीय है।"

हालांकि, यह स्थिति अल्पकालिक रही। दो साल के भीतर, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने रथिनम मामले के फैसले को पलट दिया और आईपीसी की धारा 309 की वैधता को बरकरार रखा। रथिनम मामले में दिए गए फैसले को पलटने के लिए एक बड़ी पीठ को मजबूर होना पड़ा क्योंकि निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अपनी बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराए गए एक दंपति ने अदालत के समक्ष यह तर्क दिया कि इसी तर्क के आधार पर आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) भी असंवैधानिक है। इस प्रकार, यह उलटफेर आंशिक रूप से इस तर्क से प्रेरित था कि यदि धारा 309 असंवैधानिक है, तो आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) भी इसी आधार पर अमान्य हो जाएगी। उकसाने से संबंधित कानूनी ढांचे को बनाए रखने के लिए, न्यायालय ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी में फिर से शामिल कर लिया।

हालांकि, 2017 में संसद ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में धारा 115 को शामिल करके इस विसंगति को कुछ हद तक दूर किया। इस अधिनियम की धारा 115(1) में मानवीय आधार पर यह प्रावधान किया गया: आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को, जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाए, गंभीर तनाव में माना जाएगा और उस पर आईपीसी के तहत मुकदमा

नहीं चलाया जाएगा या उसे दंडित नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से, यह प्रावधान एक गैर-बाधा खंड - "आईपीसी की धारा 309 में निहित किसी भी बात के बावजूद" - से शुरू होता है, जिससे पूर्ववर्ती अपराधिक प्रावधान को प्रभावी रूप से कमजोर कर दिया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के तहत आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में एक छोटा सा रास्ता खुला। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के लागू होने से इस दिशा में क्रमिक प्रगति को और गति मिली। बीएनएस आत्महत्या के प्रयास को दंडित करने वाले सामान्य प्रावधान को हटाता है। हालांकि, इसमें एक सीमित अपवाद बरकरार रखा गया है: धारा 224 के तहत, किसी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के इरादे से आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय बना हुआ है।

कुल मिलाकर, ये घटनाक्रम संकेत देते हैं कि अदालतें, नीति निर्माता और कानून निर्माता आत्महत्या के मुद्दे को सुलझाने की दिशा में सही कदम उठा रहे हैं। फिर भी, केवल कानूनी सुधार ही पर्याप्त नहीं है। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि संकटग्रस्त व्यक्तियों को दंड के बजाय सहायता मिले।

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

गैर सरकारी संगठनों द्वारा एनएचआरसी के नाम और लोगो का दुरुपयोग

(केस संख्या 117/10/34/2026)

एनएचआरसी, भारत को देशभर के व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों की जांच करते हुए आयोग ने पाया है कि कई गैर-सरकारी संगठनों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के नाम से मिलते-जुलते भ्रामक नामों से अपना पंजीकरण कराया है।

हाल ही में आयोग के संज्ञान में एक एनजीओ आया जिसका नाम "नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल (एनएचआरसी)" है, जो कथित रूप से वर्ष 2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ पंजीकृत है। इसके प्रचार सामग्री में दावा किया गया है कि यह "नीति आयोग की सरकार द्वारा पंजीकृत", "भारत के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा पंजीकृत", "भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत" तथा "आंध्र प्रदेश ह्यूमन राइट्स काउंसिल एसोसिएशन" से संबद्ध है। उक्त संगठन से संबंधित एक विजिटिंग कार्ड पर "वेंकटेश, राज्य अध्यक्ष, कर्नाटक" भी अंकित है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पाया है कि अपनाया गया नाम और "अध्यक्ष" पदनाम भ्रामक है और भ्रम पैदा करता है। भ्रामक नामकरण जनता को यह मानने पर मजबूर करता है कि ये संगठन या तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हिस्सा हैं या मानव अधिकार मुद्दों से निपटने के लिए आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त/अधिकृत हैं।

आयोग का मानना है कि इस तरह के भ्रामक नामों का जारी रहना जनता के विश्वास को कम कर सकता है, जनादेश के दुरुपयोग, धन के संभावित गबन और लोक अधिकारियों के लिए एनएचआरसी जैसे वैधानिक निकाय और गैर-सरकारी संगठनों के बीच अंतर करने में भ्रम पैदा कर सकता है।

आयोग ने इससे पहले विभिन्न मंचों के माध्यम से अपने नाम और लोगो के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की थी और संबंधित अधिकारियों को ऐसे संदिग्ध संगठनों के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सूचित किया था। हालांकि, उल्लंघन के मामले लगातार उसके संज्ञान में आते रहे हैं।

इसलिए, आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम का दुरुपयोग करने वाले या इससे मिलते-जुलते भ्रामक नामों का इस्तेमाल करने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों की पहचान करने और दो सप्ताह के भीतर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसमें

नियमों का उल्लंघन करके प्राप्त पंजीकरणों को रद्द करना भी शामिल है। उन्हें पंजीकरण अधिकारियों को सतर्क रहने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।

इसके अतिरिक्त, एनएचआरसी के इस मामले में, कर्नाटक के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को कर्नाटक में कार्यालय रखने वाले और दिल्ली में पंजीकृत गैर सरकारी संगठन के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

स्वतः संज्ञान

ए नएचआरसी, भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने में मीडिया रिपोर्टों एक अत्यंत उपयोगी साधन रही हैं। वर्षों से, आयोग ने ऐसे कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायता प्रदान की है। फरवरी 2026 में, आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार उल्लंघन के कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए नोटिस जारी किए। इनमें से कुछ मामलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

फंसे हुए भारतीय प्रवासी श्रमिक

(केस नंबर 23/99/4/2026)

3 फरवरी 2026 की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिलों के कम से कम 14 प्रवासी मजदूर दुर्घटना में फंसे हुए हैं। बताया गया कि एक ट्रांसमिशन लाइन निर्माण कंपनी ने उन्हें काम पर रखा था और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए थे ताकि वे वापस घर न लौट सकें। उन्हें उनकी मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया गया था। मजदूरों ने झारखंड सरकार से भारत में उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है।

आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष (एमडब्ल्यूसीआर) के प्रमुख को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फंसे हुए श्रमिकों में से एक ने फोन पर बताया कि कंपनी ने उनकी अधिकांश तनख्वाह काट ली है ताकि भारत से दुर्घटना के हवाई टिकट खरीदने में हुए शुरुआती खर्च की भरपाई की जा सके। बताया जा रहा है कि कंपनी उनके रहने का खर्च भी ले रही है और श्रमिकों के पास खाने-पीने का भी पैसा नहीं है।

लापता लोग

(केस संख्या 448/30/0/2026-WC)

5 फरवरी 2026 को मीडिया ने बताया कि दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 के पहले दो हफ्तों में राष्ट्रीय राजधानी में 807 लोग लापता हो गए। इनमें 191 नाबालिग और 616 वयस्क शामिल थे। पुलिस ने 235 लोगों का पता लगा लिया, जबकि 572 लोग लापता रहे हैं। आयोग ने पाया कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में दिल्ली में कुल 24,508 लोग लापता हुए। इनमें से साठ प्रतिशत महिलाएं थीं। पुलिस 15,421 लापता लोगों का पता लगाने में सफल रही, जबकि 9,087 मामले अभी भी अनसुलझे हैं। आंकड़ों से किशोरों के सामने आने वाले खतरे का भी पता चलता है, क्योंकि 2016 से हर साल 5,000 से अधिक किशोर, जिनमें लगभग 3500 लड़कियां शामिल हैं, लापता हो रहे हैं।

अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में 18 श्रमिकों की मौत

(केस नंबर 4/15/3/2026)

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 5 फरवरी 2026 को मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स के थांगस्काई क्षेत्र में एक अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में 18 श्रमिकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई अन्य लोग अज्ञात गहराई में फंसे हुए हैं। आयोग ने मेघालय के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में बचाव अभियान की स्थिति, पीड़ित परिवारों को मुआवजा, पुलिस जांच और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है।

कैद में नाबालिगों का यौन उत्पीड़न और यातना

(केस संख्या 241/7/5/2026)

5 फरवरी 2026 को मीडिया में खबर आई कि हरियाणा के गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाके में निर्माणाधीन इमारत में 11 से 14 साल की उम्र के 5 बच्चों को 18 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया।

बताया जाता है कि ठेकेदार और उसके चार मजदूरों ने निर्माण सामग्री चुराने की कोशिश के शक में बच्चों को बंधक बनाया था। पीड़ितों को निर्वस्त्र कर यौन उत्पीड़न किया गया और यातनाएं दी गईं। आरोपियों ने उन पर पेट्रोल भी डाला।

आयोग ने पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घटनास्थल पर पहुंचने पर आरोपियों ने बच्चों की माताओं को भी उनके साथ बैठाकर अपमानित किया। यह घटना तब सामने आई जब पीड़ितों में से एक की मां ने 3 फरवरी 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पत्रकार पर शारीरिक और यौन हमला

(केस संख्या 565/30/0/2026-WC)

14 फरवरी 2026 को मीडिया ने बताया कि 13 फरवरी 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में यूजीसी नियमों के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने के लिए पेशेवर असाइनमेंट पर गई एक महिला पत्रकार के साथ भीड़ ने शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया। खबरों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार की जाति की पहचान करने के बाद उस पर हमला करना शुरू कर दिया और कुछ ने उसे नग्न अवस्था में घुमाने की धमकी भी दी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई।

आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित पत्रकार ने आरोप लगाया है कि उसे उसकी जाति के कारण विशेष रूप से निशाना बनाया गया था। वह कुछ शिक्षकों और महिला पुलिसकर्मियों की मदद से इस भयावह घटना से बच निकली।

रासायनिक संयंत्र में हुए विस्फोट के कारण मृत्यु

(केस संख्या 116/10/14/2026)

16 फरवरी 2026 को मीडिया ने बताया कि कर्नाटक के मांड्या जिले के बसरालू क्षेत्र में 15 फरवरी 2026 को एक रासायनिक संयंत्र में हुए विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों के अनुसार, स्थानीय लोगों ने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन न किए जाने के कारण लापरवाही से विस्फोट हुआ।

आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और मांड्या के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मृतकों और घायलों के परिजनों को दिए गए स्वास्थ्य और मुआवजे (यदि कोई हो) की स्थिति का विवरण शामिल होने की अपेक्षा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना एक रासायनिक भंडारण टैंक को स्थानांतरित करने के लिए उसे हटाते समय घटी।

भारतीय श्रमिकों को उनके नियोक्ता द्वारा बंधक बनाकर रखा जाना

(केस नंबर 32/99/4/2026)

19 फरवरी 2026 को मीडिया ने खबर दी कि ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के कम से कम छह लोगों को उनके मालिकों ने पिछले छह महीनों से थाईलैंड के बैंकॉक के पास एक इलाके में बंधक बनाकर रखा हुआ है। बताया जाता है कि यह घटना 17 फरवरी 2026 को तब सामने आई जब पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। उन्हें कारखाने के अंदर बंद रखा गया था और उनके मालिक द्वारा उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जा रही थीं। आयोग ने विदेश मंत्रालय से इस बारे में टिप्पणी मांगी है कि क्या वे पीड़ितों के परिवारों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान कर सकते हैं।

खबरों के मुताबिक, पीड़ित पिछले साल अगस्त में एक श्रम ठेकेदार के जरिए थाईलैंड गए थे, जिसने उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का वादा किया था। हालांकि, उन्हें प्लाईवुड कारखाने में बिना वेतन और उचित भोजन के दिन में 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया गया। बताया जा रहा है कि उनके नियोक्ता ने उनके पासपोर्ट भी ज़ब्त कर लिए हैं। उन्होंने भारत की सरकारी एजेंसियों से उनकी वापसी में मदद करने की अपील की है।

राहत के लिए सिफारिशें

ए

नएचआरसी, भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफारिश करना है। यह नियमित रूप से विभिन्न मामलों को अपने हाथ में लेता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफारिशें देता है। फरवरी 2026 में, 16 मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों (एनओके) के लिए 86.5 लाख रुपये की राशि की सिफारिश की गई थी, जिनमें यह पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी रक्षा करने में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर से लॉग इन करके एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

| क्रमांक | मामला संख्या | शिकायत की प्रकृति | राशि(लाख रुपये में) | प्राधिकरण |
|---------|-------------------------|---|---------------------|---|
| 1. | 3788/4/26/2018-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 5.00 | बिहार सरकार |
| 2. | 323/33/28/2024-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 5.00 | छत्तीसगढ़ सरकार |
| 3. | 884/33/16/2022-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 5.00 | छत्तीसगढ़ सरकार |
| 4. | 91/30/2/2024-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 5.00 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार |
| 5. | 1740/6/21/2022-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 5.00 | गुजरात सरकार |
| 6. | 606/7/10/2024-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 5.00 | हरियाणा सरकार |
| 7. | 1992/34/20/2021-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 5.00 | झारखंड सरकार |
| 8. | 806/19/9/2023-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 10.00 | पंजाब सरकार |
| 9. | 590/36/2/2024-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 5.00 | तेलंगाना सरकार |
| 10. | 25846/24/64/2023-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 10.00 | उत्तर प्रदेश सरकार |
| 11. | 3829/24/78/2023-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 5.00 | उत्तर प्रदेश सरकार |
| 12. | 1248/13/24/2022-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मौत | 5.00 | महाराष्ट्र सरकार |
| 13. | 1277/18/25/2024 | कैदियों का उत्पीड़न | 1.00 | ओडिशा सरकार |
| 14. | 3715/30/0/2020 | चोरी की झूठी शिकायत के मामले में पुलिस की निष्क्रियता और अत्याचार | 0.50 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार |
| 15. | 14633/24/57/2022 | पुलिस की लापरवाही के कारण मृत्यु | 5.00 | उत्तर प्रदेश सरकार |
| 16. | 142/9/13/2022-एएलड | कथित फर्जी मुठभेड़ें | 10.00 | जम्मू एवं कश्मीर सरकार |

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

फरवरी 2026 में, आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट और सार्वजनिक प्राधिकरणों से भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने पर या अन्य टिप्पणियों/निर्देशों के आधार पर 7 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की सिफारिशों पर पीड़ितों या उनके परिजनों को 35.5 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर से लॉग इन करके एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

| क्रमांक | मामला संख्या | शिकायत की प्रकृति | मात्रा (लाख रुपये में) | अधिकार |
|---------|-------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| 1. | 4154/18/3/2021-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 5.00 | ओडिशा सरकार |
| 2. | 6/20/21/2024-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 7.50 | राजस्थान सरकार |
| 3. | 10065/24/48/2022-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 5.00 | उत्तर प्रदेश सरकार |
| 4. | 17137/24/56/2023-जेसीडी | न्यायिक हिरासत में मृत्यु | 5.00 | उत्तर प्रदेश सरकार |
| 5. | 13/14/4/2020-एडी | पुलिस हिरासत में मौत | 5.00 | मणिपुर सरकार |
| 6. | 4329/22/45/2022-पीसीडी | पुलिस हिरासत में मौत | 7.50 | तमिलनाडु सरकार |
| 7. | 406/34/12/2023 | रात के समय नशे की हालत में घर में घुसकर शिकायतकर्ता के पति पर हमला करना | 0.50 | बिहार सरकार |

केस स्टडी

क

ई मामलों में, आयोग ने पाया कि राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत, उनके गैरकानूनी कार्यों, निष्क्रियता या चूक के कारण पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। इसलिए, आयोग ने प्रत्येक मामले के आधार पर उन्हें नोटिस जारी कर कारण बताओ कि इन पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी जानी चाहिए और दोषी/लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। कारण बताओ नोटिसों पर राज्यों द्वारा अपनाए गए जवाब के आधार पर आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे मामलों का सारांश इस प्रकार है:

विचाराधीन कैदी द्वारा आत्महत्या

(केस नंबर 852/19/19/2023-जेसीडी)

यह मामला 2023 में पंजाब के श्री गोइंदवाल साहिब स्थित केंद्रीय जेल में 22 वर्षीय विचाराधीन कैदी की आत्महत्या से संबंधित था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि पीड़ित को नशे की लत थी और जेल में भर्ती होने के समय वह ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) की दवा ले रहा था। उसने जेल के बाथरूम में आत्महत्या करने का प्रयास किया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आयोग ने पाया कि कैदियों की उचित निगरानी का अभाव था और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि पंजाब सरकार पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

जेल में बंद एक कैदी द्वारा आत्महत्या

(केस नंबर 10065/24/48/2022-जेसीडी)

यह मामला 2022 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित आदर्श कारागार (मॉडल जेल) में एक दोषी कैदी की हिरासत में हुई मौत से संबंधित था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि कैदी ने जेल परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। अतः आयोग ने माना कि चूंकि कैदी राज्य की देखरेख और हिरासत में था, इसलिए राज्य का यह परम कर्तव्य था कि वह सुनिश्चित करे कि वह स्वयं को या किसी और को कोई नुकसान न पहुंचा सके। तदनुसार, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

जेल के अंदर आत्महत्या

(केस नंबर 4154/18/3/2021-जेसीडी)

यह मामला 2021 में ओडिशा के चौद्वार स्थित कटक सर्कल जेल में हिरासत में लिए गए 43 वर्षीय व्यक्ति की आत्महत्या से संबंधित था। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग ने पाया कि मृतक की मृत्यु दम घुटने और फांसी के कारण हुई थी। आयोग ने माना कि कैदी को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए राज्य अपने कर्मचारियों की लापरवाही के कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। इसलिए, आयोग ने ओडिशा सरकार को मृतक के

परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

विचाराधीन कैदी द्वारा आत्महत्या

(केस नंबर 1781/4/4/2019-AD)

यह मामला 2019 में बिहार के बेगुसराय जिला जेल की न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी की आत्महत्या से संबंधित था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि पीड़ित ने जेल में शौचालय साफ करने वाला पदार्थ पी लिया था, जिसके बाद उसकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गईं और न्यायिक हिरासत में ही उसकी मृत्यु हो गई। आयोग ने माना कि राज्य अपने अधिकारियों की गलती और लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। इसलिए, आयोग ने बिहार सरकार को पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

जेल में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मृत्यु

(केस नंबर 1238/4/32/2019-जेसीडी)

यह मामला बिहार के छपरा स्थित सर्किल जेल में बंद एक कैदी की 2019 में पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पटना, बिहार में इलाज के दौरान हुई मौत से संबंधित है। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग ने पाया कि पीड़ित को 2016 में जेल में रखा गया था। यह भी पाया गया कि उसकी गंभीर मधुमेह की बीमारी का निदान देरी से हुआ और उसका इलाज भी अनियमित था। आयोग ने माना कि जेल अधिकारियों ने पीड़ित की उचित देखभाल नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार, राज्य अपने अधिकारियों की लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। इसलिए, आयोग ने बिहार सरकार को पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश की, जो दे दिया गया।

पुलिस कर्मियों द्वारा हमला

(केस संख्या 406/34/12/2023)

यह मामला झारखंड के कोडरमा जिले में 11 जनवरी 2023 की आधी रात को नशे की हालत में पुलिसकर्मियों द्वारा शिकायतकर्ता के घर में घुसकर उसके पति पर बेरहमी से हमला करने की घटना से संबंधित था, जिसके परिणामस्वरूप

उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग ने पाया कि बिहार पुलिस की कार्रवाई भी गैरकानूनी थी, क्योंकि झारखंड के कोडरमा के एसपी ने बताया कि बिहार पुलिस ने झाराखी विशुपुर गांव पर छापा मारने या आरोपियों को गिरफ्तार करने से पहले झारखंड के स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित नहीं किया था। इसलिए, आयोग ने बिहार सरकार को पीड़ित को 50,000 रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

पुलिस हिरासत में आत्महत्या

(केस नंबर 13/14/4/2020-ad)

यह मामला 2023 में मणिपुर के इम्फाल स्थित कांगपोकपी पुलिस स्टेशन में कुकी क्रांतिकारी सेना के एक सदस्य की आत्महत्या से संबंधित था। खबरों के अनुसार, उसे 38 असम राइफल्स के जवानों ने गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन को सौंप दिया, जहां उसने आत्महत्या कर ली। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आयोग ने पाया कि हिरासत में हुई इस घटना के लिए राज्य सरकार पर परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। इसलिए, आयोग ने मणिपुर सरकार को पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

पुलिस हिरासत में मौत

(केस नंबर 14/23/8/2019-JCD)

यह मामला 2019 में त्रिपुरा के सेपाहिजाला जिले के सोनमुरा उप-जेल में विचाराधीन कैदी की मृत्यु से संबंधित था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि पीड़ित को भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा में घुसपैठ करते समय बीएसएफ द्वारा पकड़ा गया था। चिकित्सकीय रूप

से स्वस्थ होने के कारण उसे कलामचौरा पुलिस स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अगले दिन, पीड़ित को अदालत में पेश किया गया और पुलिस उसे सोनमुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां कई अज्ञात आंतरिक और बाहरी गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान एक घंटे के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए, आयोग ने माना कि कैदी की भलाई और सुरक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जेल अधिकारियों की किसी भी चूक या गलती के लिए राज्य परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। अतः, आयोग ने त्रिपुरा सरकार को पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया। यह भी बताया गया कि दोषी जेल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।

मानसिक पुनर्वास केंद्र में यातना के कारण मृत्यु

(केस नंबर 4329/22/45/2022-पीसीडी)

यह मामला 2022 में तमिलनाडु के अरुप्पुकोट्टई स्थित सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान रामानुजपुरम के अन्नाई इल्लम होम मानसिक पुनर्वास केंद्र में भर्ती 32 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि पीड़ित की मृत्यु हिरासत में यातना के कारण हुई थी और उसकी पीठ के ऊपरी हिस्से, बांहों, कोहनी, कंधे, अग्रबांहों और कमर पर कई बाहरी चोटें थीं। आयोग ने पाया कि पीड़ित की मृत्यु कर्मचारियों के अत्याचारों और निगरानी के लिए तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण हुई थी। इसलिए, आयोग ने तमिलनाडु सरकार को मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

मौके पर पूछताछ

ए

नएचआरसी, भारत मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में मौके पर जाकर जांच करने के लिए समय-समय पर जांच अधिकारियों की अपनी टीम नियुक्त करता है।

केस नं. 197/25/5/2026

२ से 6 फरवरी 2026 के बीच पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 26 जनवरी 2026 को “WOW! Momo” वेयरहाउस-फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद अग्निशमन सेवा, श्रम विभाग, शहरी नियोजन प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन की कथित लापरवाही की जांच के लिए मौके पर जांच की गई। बताया गया कि परिसर के अंदर सो रहे कम से कम 20 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और कई अन्य लापता हे जो परिसर के अंदर सो रहे थे।

केस नं. 2209/30/0/2025

10 से 12 फरवरी 2026 के बीच यह आरोप जांचने के लिए मौके पर जांच की गई

कि एक 84 वर्षीय महिला को दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों तथा पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके घर के पास अवैध निर्माण हो रहा है और वहाँ काम करने वाले मजदूर उसे परेशान कर रहे हैं तथा उस पर हमला भी कर रहे हैं।

केस नं. 234/1/3/2026

16 से 20 फरवरी 2026 के बीच आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कम्मा पल्ली गांव में पीड़िता को उसके कृषि भूमि और ईट भट्टे में प्रवेश से रोकने तथा गांव वालों द्वारा उसके बहिष्कार से संबंधित प्राथमिकी की पुलिस जांच में कथित निष्पक्षता की कमी के आरोपों की जांच के लिए मौके पर जांच की गई।

केस नं. 418/22/48/2025

23 से 28 फरवरी 2026 के बीच तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले के कुरवन जनजातीय परिवारों के साथ आंध्र प्रदेश में पुलिस अत्याचार के आरोपों की जांच के लिए मौके पर जांच की गई। बताया गया कि चित्तूर में आभूषण चोरी के एक मामले में महिलाओं और बच्चों सहित पूरे परिवारों को हिरासत में लिया गया और पुथलपट्टु में उन्हें कथित रूप से बर्बर यातना और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

क्षेत्रीय दौरे

ए नएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकारों की स्थिति और राज्य सरकारों एवं उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की सलाह, दिशा-निर्देशों और अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन कर सकें। वे सरकारी अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने और मानव अधिकार स्थितियों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आश्रय स्थलों, कारागारों और निगरानी गृहों का भी दौरा करते हैं। इन दौरों के दौरान, राज्य अधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाता है, क्योंकि इससे आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को शीघ्रता से हल करने में सहायता मिलती है।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य द्वारा किये गए दौरे

10 फरवरी 2026 को एनएचआरसी की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने सुविधाओं का आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और गर्ल्स हॉस्टल, मुदिगुब्बा का दौरा किया। उन्होंने पाया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह इन शिक्षकों को भी कम वेतन मिलता है, उन्हें पेंशन नहीं मिलती और सरकारी वेतनभोगी होने के बावजूद कुछ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता। सदस्य ने जिले के मंडल राजस्व कार्यालय (एमआरओ) का भी दौरा किया। उन्होंने पाया कि एमआरओ कार्यालय में काम में देरी हो रही है, जिसके कारण लोगों को अपना काम करवाने के लिए बार-बार आना पड़ रहा है। उन्होंने अधिक जवाबदेह प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि जनता की समस्याओं का कुशलतापूर्वक समाधान किया जा सके।



▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिले के मंडल राजस्व कार्यालय में दौरे पर

12 फरवरी 2026 को, उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिले के कदिरी स्थित सरकारी अस्पताल का दौरा किया ताकि विभिन्न सुविधाओं और मानव

अधिकारों की स्थिति का आकलन किया जा सके। उन्होंने अस्पताल के कामकाज को समझने के लिए डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, सुरक्षा और स्वच्छता कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी शिकायतों को सुना।



▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी आंध्र प्रदेश की अनंतपुर जिला जेल का निरीक्षण करती हुई

13 फरवरी 2026 को, सदस्य ने तमिलनाडु के तिरुवनमलाई में अरुणाचला गिरिवलम (गिरि प्रदक्षिणा) मार्ग का दौरा किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के ध्यान में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा गिरिवलम मार्ग पर अतिक्रमण का मुद्दा लाया, जिससे लोगों की आवाजाही में कठिनाई हो रही थी।

14 फरवरी 2026 को उन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित शहरी प्राथमिक विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया। उन्होंने पाया कि केंद्र सुव्यवस्थित और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है और कक्षा का वातावरण बाल-अनुकूल है। लेकिन उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए पर्याप्त शौचालय सुविधाओं, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधाओं की स्थापना/व्यवस्था और स्वच्छता एवं सफाई रखरखाव प्रोटोकॉल को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की।

विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

रा

ष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थिति की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किए हैं। वे आश्रय गृहों, जेलों, ऑब्जर्वेशन होम्स और अन्य संस्थानों का दौरा करते हैं तथा आयोग को अपनी टिप्पणियों और भविष्य की कार्रवाई के सुझावों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग ने 18 विशेष मॉनिटर भी नियुक्त किए हैं, जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की निगरानी और आयोग को अपनी रिपोर्ट देने का कार्य सौंपा गया है।

विशेष प्रतिवेदक

- 11 से 14 फरवरी 2026 तक, श्री के. पद्मकुमार ने तमिलनाडु के मदुरै और थेनी जिलों का दौरा किया और जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने जातिगत मुद्दों से प्रभावित क्षेत्रों और संबंधित संस्थानों का दौरा करके मानव अधिकार स्थिति का आकलन भी किया।



▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष प्रतिवेदक श्री के. पद्मकुमार, थेनी कलेक्टरों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए

- 16 से 21 फरवरी 2026 तक, सुश्री शोमिता बिस्वास ने उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार का दौरा किया और संस्थागत कामकाज की समीक्षा करने और मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए सामाजिक कल्याण और गृह विभागों, आश्रय गृहों/नारी निकेतनों और केंद्रीय जेल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।
- 16 से 21 फरवरी 2026 तक, श्री सुभाष चंद्र ने मध्य प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम, बेतूल और छिंदवाड़ा जिलों का दौरा किया और महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और जनजातीय कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कारागारों/नजरबंदी केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों, महिला आश्रय गृहों, अनाथालयों, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए सुविधाओं, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, सामुदायिक वन अधिकार स्थलों और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों/संस्थानों का व्यापक दौरा भी किया।
- 17 से 21 फरवरी 2026 तक, श्री मोहम्मद जमशेद ने पणजी, गोवा का दौरा किया और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय जेल, मनोचिकित्सा एवं मानव व्यवहार संस्थान, अवलोकन गृह और वृद्धाश्रम का भी दौरा किया।

- 17 से 21 फरवरी 2026 तक, श्री सईद अहमद बाबा ने मिजोरम के आइजोल का दौरा किया और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय और जिला जेलों, जोरम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जेडएमसी एंड एच), ब्लाइंड स्कूल और मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके संस्थागत सुविधाओं की स्थिति, विशेष रूप से रहने की स्थिति और मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया।



▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष प्रतिवेदक श्री सईद अहमद बाबा, मिजोरम स्थित केंद्रीय कारागार, आइजोल का दौरा करते हुए

- 26 से 28 फरवरी 2026 तक, श्री के. पद्मकुमार ने केरल के पलक्कड़ जिले का दौरा किया और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने अट्टापडी आदिवासी क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों के मानव अधिकारों से संबंधित चिंताओं को समझने का भी प्रयास किया।

विशेष मॉनिटर

- 9 से 12 फरवरी 2026 तक, डॉ. पूनम मलकोंडैया ने दौरा किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाओं का जायजा लिया और छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने जिले में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और साक्षरता संबंधी मुद्दों को समझने के लिए शिक्षा अधिकारी और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से भी बैठकें कीं।

- 16 से 21 फरवरी 2026 तक, डॉ. प्रदीपता कुमार नायक ने तेलंगाना के हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल-मलकाजगिरि जिलों का दौरा किया और स्वास्थ्य, कुष्ठ रोग, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य संबंधित विभागों के राज्य, जिला और नगरपालिका स्तर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियों का आकलन करने के लिए जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की बस्तियों का भी दौरा किया।



▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर, डॉ. प्रदीप नायक जिला अस्पताल के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए

- 16 से 20 फरवरी 2026 तक, श्री धनंजय टिंगल ने बंधुआ और बाल श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति, पीड़ितों की स्थिति का जायजा लेने और बंधुआ श्रम और बाल श्रम की प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक कदमों की पहचान करने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बहराइच जिलों का दौरा किया।
- 23 से 27 फरवरी 2026 तक, श्रीविद्या भूषण कुमार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद का दौरा किया और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण उपायों, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और प्रदूषण निगरानी तंत्रों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में उठाए गए कदमों पर विशेष ध्यान दिया।



▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर, श्री आर. हेमंत कुमार आंध्र प्रदेश के पोलावरम जिले के मदीराथिगुडेम में ग्रामीणों के साथ बातचीत करते हुए

दौरा किया ताकि सामुदायिक वन अधिकार शासन की कार्यप्रणाली की जांच की जा सके, नीति कार्यान्वयन में कमियों की पहचान की जा सके और सामुदायिक अधिकारों और पारिस्थितिक अखंडता के बीच संतुलन का आकलन किया जा सके।

- 23 से 28 फरवरी 2026 तक, श्री देवेन्द्र सिंह धपोला ने मध्य प्रदेश के इंदौर और भेड़ाघाट (जबलपुर) जिलों का दौरा किया ताकि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के मशीनीकरण, भीख मांगने, सिलिकोसिस और संबंधित मुद्दों पर एनएचआरसी की परामर्शियों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन का आकलन किया जा सके। उन्होंने राज्य और जिला अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं और अन्य हितधारकों से भी बातचीत की।
- 24 से 28 फरवरी 2026 तक, श्री बालकृष्ण गोयल ने मानवाधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर, खोरधा, पुरी और कटक जिलों में संप्रेक्षण गृहों, आंगनवाड़ी केंद्रों, जिला जेलों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और वृद्धाश्रमों का दौरा किया। उन्होंने जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बाल अधिकारों के कार्यान्वयन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा बैठकें भी कीं।



▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर, श्री बालकृष्ण गोयल जिला अस्पताल में सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए



▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर, श्री बालकृष्ण गोयल जेल में भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण करते हुए

- 24 से 27 फरवरी 2026 तक, डॉ. पूनम मलकोंडैया ने झारखंड के मिहिजाम और जामताड़ा जिलों के प्राथमिक विद्यालयों का दौरा किया और छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों, शिक्षा अधिकारियों, उप-मंडल मजिस्ट्रेटों और जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।
- 24 से 28 फरवरी 2026 तक, श्री उमाकांत ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों का दौरा किया और राज्य एवं जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने ग्राम सभा पदाधिकारियों, स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों से ग्राम, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर बातचीत की, उनकी शिकायतों को सुना और उन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों के प्रति जागरूक किया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ए नएचआरसी, भारत को मानव अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, आयोग इंटरशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और अन्य कई गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है, जिनमें मूट कोर्ट भी शामिल हैं, ताकि विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के बीच मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके। इंटरशिप व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आयोजित की जाती हैं। नई दिल्ली स्थित आयोग के परिसर में दो महीने की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन इंटरशिप और छह ऑनलाइन अल्पकालिक इंटरशिप (ओएसटीआई) कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओएसटीआई दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों को दिल्ली में यात्रा और रहने के खर्च के बिना इसमें शामिल होने में मदद करते हैं।

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटरशिप

2026 में, पहला दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटरशिप (OSTI) कार्यक्रम 2 से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया। 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के 71 विश्वविद्यालय स्तरीय छात्रों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि OSTI का उद्देश्य कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आयोग के जनादेश के अनुरूप मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की व्यापक समझ प्रदान करना है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के श्लोकों का हवाला देते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि करुणा और क्षमा सदियों पुरानी भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों की पहचान रही है।

उन्होंने प्रशिक्षुओं को आयोग के साथ अपने प्रशिक्षण काल के दौरान मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे बेहतर पेशेवर बनने से पहले दूसरों के दुख-दर्द के प्रति करुणा की भावना विकसित करके बेहतर इंसान बनें।

इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने इस बात पर जोर दिया कि इंटरशिप कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को मानव अधिकारों के संरक्षक और दूत के रूप में विकसित होने के लिए जागरूक करना भी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ओएसटीआई कार्यक्रम के दौरान इंटरन प्रतिष्ठित वक्ताओं से मूल्यों और ज्ञान को आत्मसात करेंगे।



► एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन का कहना है कि ओएसटीआई का उद्देश्य कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आयोग के जनादेश के अनुरूप मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की व्यापक समझ प्रदान करना है।



► उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले प्रशिक्षु



► एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे इंटरशिप के दौरान सीखी गई बातों को आत्मसात करें ताकि उनमें संवेदनशीलता और जवाबदेही विकसित हो सके और वे ऐसे आदर्श नागरिक के रूप में उभर सकें जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों

बाद में, अपने समापन भाषण में, श्री लाल ने प्रशिक्षुओं को उनकी इंटरशिप पूरी करने पर बधाई दी। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे इंटरशिप के दौरान सीखी गई बातों को आत्मसात करें ताकि उनमें संवेदनशीलता और जवाबदेही विकसित हो और वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक आदर्श नागरिक बन सकें। उन्होंने आत्मनिरीक्षण और अपने कार्यों पर चिंतन के महत्व पर बल दिया ताकि वे परिवर्तन के प्रेरक बन सकें। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं बल्कि नागरिकों की भी है।

उन्होंने कहा कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संवैधानिक ढांचे के स्तंभ हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी के साथ सम्मान, गरिमा और समानता का व्यवहार किया जाए।

अक्सर, कमजोर लोग वे होते हैं जो अपनी परिस्थितियों के शिकार होते हैं। भिखारी, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति और समाज के अन्य कमजोर वर्ग अक्सर अपने अधिकारों और गरिमा के गंभीर उल्लंघन का सामना करते हैं। उन्हें उनके हक दिलाने में मदद की जरूरत है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को स्कूलों का दौरा करने और छात्रों में स्वच्छता, साफ-सफाई, यौन अपराधों और ऐसे अन्य मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी, जो लोगों के मानव अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे प्रयास समाज में सार्थक योगदान दे सकते हैं।

एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती साइडिंपुई छकछुआक ने इंटरशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि एनएचआरसी अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव, वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी पदाधिकारियों के साथ-साथ नागरिक समाज के विशेषज्ञों सहित प्रख्यात वक्ताओं के साथ संवादात्मक सत्रों के दौरान छात्रों को मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। उन्होंने इंटरशिप कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य इंटरन के मानव अधिकारों के ज्ञान को मजबूत करना था। इनमें पुस्तक समीक्षा प्रतियोगिता, समूह शोध परियोजना प्रजेन्टेशन और भाषण प्रतियोगिता शामिल थीं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्यों, महासचिव और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधित किए गए थे। इनका आयोजन आयोग के सहयोग से विभिन्न संस्थानों द्वारा किया गया था।

- 3 फरवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने गोवा के कार्मेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स फॉर विमेन द्वारा आयोजित 'मानव अधिकारों के लिए युवाओं को सशक्त बनाना: हाशिए पर पड़े समूहों की चिंताओं पर जागरूकता और संवेदनशीलता' विषय पर प्रशिक्षण



कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने युवाओं में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 13 फरवरी 2026 को तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले के मन्नमपंडल स्थित एवीसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने 'महिलाओं के सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करना: यौन उत्पीड़न और साइबर शोषण के लिए कानूनी जागरूकता और रिपोर्टिंग तंत्र' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। एनएचआरसीके विशेष मॉनिटर श्री मुक्केश चंद्र ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और महिलाओं की सुरक्षा और डिजिटल गरिमा सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों और डिजिटल शिकायत तंत्रों के बारे में जानकारी दी। लगभग 100 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।



- 26 फरवरी 2026 को, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने तमिलनाडु के चेन्नई में स्नेहा द्वारा आयोजित 'आत्महत्या रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और करुणापूर्ण देखभाल' विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से युक्त इस सम्मेलन में भारत के एनएचआरसीके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव श्री भरत लाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने आत्महत्या रोकथाम पर बात की, जिसमें सोशल मीडिया का प्रभाव, तंत्रिका-मनोवैज्ञानिक पहलू, संवेदनशील समूह और हस्तक्षेप की प्राथमिकताएं शामिल थीं। स्नेहा की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित यह सम्मेलन आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में संवाद, ज्ञान-साझाकरण और सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद और न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन के भाषणों के अंश इस न्यूजलेटर के पिछले पृष्ठों में प्रकाशित किए गए हैं।



ज्ञानार्जन दौरे

एनएचआरसी, भारत महाविद्यालय स्तर के छात्रों और उनके संकाय सदस्यों को मानव अधिकार संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार इसकी कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाती है। फरवरी 2026 में निम्नलिखित संस्थानों के कुल 207 छात्रों और 9 संकाय सदस्यों ने आयोग का दौरा किया:



तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले (चेन्नई) स्थित एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 26 छात्रों और 2 शिक्षकों का एक संकाया।



तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले (चेन्नई) स्थित एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 26 छात्रों और 2 शिक्षकों का एक संकाया।



नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया से 40 छात्रों और एक शिक्षक का संकाया।



महाराष्ट्र के मुंबई स्थित सिद्धार्थ लॉ कॉलेज से 30 छात्रों और एक शिक्षक का संकाया।



पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी से 42 छात्रों और 2 शिक्षकों का संकाया।



दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के लॉ सेंटर-1 से 44 छात्रों और एक शिक्षक का संकाया।

मूट कोर्ट

- 6 फरवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित 'पर्यावरण कानून और मानव अधिकार' विषय पर तीन दिवसीय आईएलएनयू-एनएचआरसी मॉक कोर्ट प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने भारत की सभ्यतागत विचारधारा, संवैधानिक मूल्यों और मानव अधिकारों, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के नवीनतम दृष्टिकोणों पर भी चर्चा की।



- 20 से 22 फरवरी 2026 तक, प्रेसिडेंसी स्कूल ऑफ लॉ, बेंगलुरु, कर्नाटक ने 'कैदियों की अवैध हिरासत' विषय पर 'प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026' का आयोजन किया।



अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी

ए नएचआरसी, भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए आयोग के कामकाज को समझने हेतु अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ संवाद करने और तेजी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों का दौरा करते हैं।

प्रतिनिधिमंडल के दौरे

- 4 फरवरी 2026 को, भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री स्टीफन प्रीसनर और रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय की चीफ ऑफ स्टाफ सुश्री राधिका कौल बत्रा ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया और महासचिव श्री भरत लाल से मुलाकात की। चर्चा में संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के प्रमुख पहलुओं पर बात हुई, विशेष रूप से जलवायु चुनौतियों का समाधान करते हुए और सतत विकास को बढ़ावा देते हुए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को आगे बढ़ाने के संबंध में।



▶ भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री स्टीफन प्रीसनर और रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय में चीफ ऑफ स्टाफ सुश्री राधिका कौल बत्रा, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल और संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार के साथ

एनएचआरसी, भारत देश भर में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत के व्यापक जनादेश और पहलों के साथ-साथ समृद्ध सभ्यतागत लोकाचार और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित वैश्विक दक्षिण के लिए भारत के अटूट समर्थन पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार भी उपस्थित थे।



► संयुक्त राष्ट्र के आगंतुक प्रतिनिधिमंडल

- 17 फरवरी 2026 को, कैदी नीति और मानव अधिकार संकाय की उप प्रमुख सुश्री अन्ना फिट्ज़पैट्रिक, महामहिम की वाणिज्य दूताधिकारी सुश्री हीदर विल्की और ब्रिटिश उच्चायोग की वाणिज्य दूताधिकारी सुश्री साक्षी मल्होत्रा ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया और महासचिव श्री भरत लाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल को एनएचआरसी की जेल सुधारों से संबंधित हालिया पहलों, कैदियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, आपराधिक न्याय सुधारों पर कोर समूह, कैदियों द्वारा आत्महत्या और आत्महानि की रोकथाम पर परामर्श और जेलों में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी दी गई।



► ब्रिटिश उच्चायोग में प्रिजनर पॉलिसी और मानव अधिकार टीम की उप प्रमुख सुश्री अन्ना फिट्ज़पैट्रिक, हिज मेजेस्टी की काउंसुल सुश्री हीदर विल्की और काउंसुलर अधिकारी सुश्री साक्षी मल्होत्रा, एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल और संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार के साथ।

उन्हें मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के कामकाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। भारत में ब्रिटिश नागरिकों द्वारा

कैदियों के कल्याण संबंधी शिकायतों के निपटान में सहयोग की संभावना पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार भी उपस्थित थे।

- 18 फरवरी 2026 को, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त श्री वोल्कर तुर्क ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया और अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव श्री भरत लाल से मुलाकात की। उनके साथ ओएचसीएचआर की प्रवक्ता सुश्री रवीना शामदासानी और मानव अधिकार अधिकारी सुश्री आइडा मार्टिरोस-नेजाद भी थीं। उन्हें एनएचआरसी के कामकाज, शिकायत निवारण, जांच तंत्र और विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी गई।



► संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त श्री वोल्कर टर्क, ओएचसीएचआर की प्रवक्ता सुश्री रवीना शामदासानी और मानव अधिकार अधिकारी सुश्री आइडा मार्टिरोस-नेजाद, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, महासचिव श्री भरत लाल और संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार के साथ।

राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी), संवैधानिक न्यायालयों और राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे क्षेत्रीय आयोगों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। दक्षिण-दक्षिण सहयोग, विशेष रूप से एनएचआरसी, भारत द्वारा वैश्विक दक्षिण में रहने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रवासियों के लिए क्षमता निर्माण और अनुभव साझा करने की पहलों पर प्रकाश डाला गया। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने एनएचआरसी, भारत के कार्यों के पैमाने, संचालन, गहराई और प्रभाव की सराहना करते हुए मानव गरिमा, न्याय और कानून के शासन को आगे बढ़ाने में निरंतर संवाद, रचनात्मक सहयोग और वैश्विक एकजुटता के महत्व को दोहराया। इस अवसर पर एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार भी उपस्थित थे।



► संयुक्त राष्ट्र के आगंतुक प्रतिनिधिमंडल

अन्य सहभागिता

- 2 फरवरी 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के महासचिव श्री भरत लाल, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार, निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह, सलाहकार (अनुसंधान) सुश्री वर्षा आटे और अनुसंधान सहायक सुश्री राधिका गोयल ने पराग्वे के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (डिफेंसोरिया डेल प्यूब्लो डी पराग्वे) के साथ एक द्विपक्षीय ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मा नव जीवन के निरंतर विस्तार और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना एक सतत प्रक्रिया बनी हुई है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें कार्यपालिका के माध्यम से जन कल्याण सुनिश्चित करने और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, विधायिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएँ भी मौजूद हैं। देश में एक जीवंत मीडिया भी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) देश में मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य राष्ट्रीय आयोगों को क्षेत्रीय स्तर पर राज्य स्तरीय आयोगों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये संस्थाएँ अधिकारों और कल्याणकारी उपायों की निगरानी करती हैं। ये समाज के विभिन्न वर्गों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस लेख का उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एसएचआरसी द्वारा किए गए असाधारण कार्यों को उजागर करना है।

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जहां मानव अधिकार जागरूकता के लिए नुककड़ों के माध्यम से शारीरिक दंड, पुलिस की ज्यादतियों और मानवीय गरिमा की रक्षा जैसे मुद्दों को उजागर किया गया। 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक एक जागरूकता स्टॉल लगाया गया, जिसने जनता के साथ संवाद स्थापित करने और सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री के प्रसार में सहायता प्रदान की।



▶ फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में एसएचआरसी का जागरूकता शिविर

आयोग ने जिंद जिला जेल का निरीक्षण किया, जिसमें चिकित्सा सुविधाओं और कैदियों के कल्याण की समीक्षा की गई और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की गई। आयोग ने एमडीडी बाल भवन का भी दौरा किया और बाल देखभाल और संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।

इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, एसएचआरसी ने राज्य के मुख्य सचिव को पुलिस हिरासत में मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के लिए एक व्यापक मुआवजा नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। एसएचआरसी का यह निर्देश पिंजोर में पकड़े गए 18 वर्षीय लड़के की अवैध हिरासत और मारपीट के मामले में एक सब इंस्पेक्टर पर लगाए गए अपर्याप्त दंड को पाए जाने के बाद आया है। आयोग ने आगे डीजीपी से प्रस्तावित संस्थागत सुधारों और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों से संबंधित कई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया। इनमें फरीदाबाद में एक मृत महिला के शव को ठेले पर ले जाना, कार्रवाई रिपोर्ट और शव परिवहन के लिए नीतिगत सिफारिशें मांगना; सूरजकुंड मेले में झूले के गिरने की घटना, अनिवार्य तृतीय-पक्ष सुरक्षा ऑडिट की मांग; और रोहतक में एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, उच्च स्तरीय जांच और खेल सुविधाओं के राज्यव्यापी सुरक्षा ऑडिट की मांग करना शामिल है। एसएचआरसी ने करनाल में शारीरिक दंड की एक घटना का भी स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी।



▶ हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (HSRHC) के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति ललित बत्रा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला जेल, जींद का निरीक्षण करते हुए।

इसके अलावा, भिवानी में बिना बाड़ वाले तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत के मामले में, एचएसएचआरसी ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर तत्काल सुरक्षा उपाय करने, निष्पक्ष जांच करने और दोषी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

एचएसएचआरसी ने जांच अधिकारी को तलब किया और हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आग लगने की घटना में राजस्थान के अलवर के एक मेडिकल छात्र की 80% जलने से हुई मौत पर रिपोर्ट मांगी। आयोग ने विशेष जांच संकाय के प्रभारी को सभी मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात के मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग

18 से 19 फरवरी 2026 तक, कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग (केएसएचआरसी) के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. टी. श्याम भट्ट और सदस्य श्री एस.के. वंतीगोडी ने दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों का दौरा किया और पीड़ितों और संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में पिछली शिकायतों का निपटारा करने और तालुक और जिला स्तर पर कथित मानव अधिकार उल्लंघन की नई शिकायतें स्वीकार करने के लिए पूर्ण पीठ की बैठकें आयोजित कीं। उडुपी में, केएसएचआरसी को 11 नई शिकायतें प्राप्त हुईं और कार्यवाहक अध्यक्ष ने अधिकारियों से शिकायतों के निवारण के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया।



▶ केरल राज्य मानव अधिकार आयोग (KSHRC) के कार्यवाहक अध्यक्ष, डॉ. टी. श्याम भट्ट और सदस्य, श्री एस. के. वंतीगोडी उडुपी में पूर्ण पीठ की बैठक करते हुए

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग (टीएसएचआरसी) ने फरवरी 2026 में मानव अधिकार उल्लंघन की दो घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया है। इनमें हैदराबाद में स्कूली छात्रों को जबरन झाड़ू लगाने और कचरा निपटाने का काम कराने के आरोप और राजन्ना सिरसिला जिले में एक आंगनवाड़ी शिक्षिका द्वारा तीन वर्षीय बच्चे पर हमला करने की घटना शामिल है।

टीएसएचआरसी ने मानव अधिकार उल्लंघन की तीन कथित घटनाओं में शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए। इनमें कुरनूल जिले में जबरन गर्भपात के प्रयास, मोइनाबाद में एक महिला वकील की हत्या को रोकने के लिए पुलिस की निष्क्रियता, जबकि उसे जान से मारने की धमकियों की शिकायतें मिली थीं, और हनुमाकोंडा के चेराबंदा राजू नगर के 30 अनुसूचित जाति निवासियों की पानी और बिजली की आपूर्ति बंद करना शामिल है।



▶ मंगलुरु में दक्षिण कन्नड़ कारागार का दौरा करते हुए केरल राज्य मानव अधिकार आयोग (KSHRC)

केएसएचआरसी ने दोनों जिलों में राज्य और जिला स्तर के सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ समाज के विभिन्न समूहों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया। केएसएचआरसी ने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए जिला जेलों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदायों के छात्रों के लिए सरकारी छात्रावासों, पुलिस स्टेशनों, जिला सरकारी अस्पतालों और अन्य सरकारी संस्थानों का दौरा भी किया।

उडुपी जिला जेल के दौरे के दौरान, कार्यवाहक अध्यक्ष और सदस्य ने पाया कि सीलन से ग्रस्त जेल की दीवारों कैदियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं और उन्होंने जेल अधीक्षक को प्राथमिकता के आधार पर उनकी मरम्मत और रंगाई करवाने का निर्देश दिया।


अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एपीएसएचआरसी) ने 24 से 25 फरवरी 2026 तक तिरप जिले के लाजू और लोंगडिंग जिले के पोंगचाउ में 'मानव अधिकार, हमारी दैनिक आवश्यकताएं' विषय पर दो दिवसीय मानव अधिकार जागरूकता और समर्थन कार्यक्रम का आयोजन किया। एपीएसएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री बामंग तागो ने समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा में संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जागरूकता मानव अधिकार उल्लंघन के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है। उन्होंने सामुदायिक नेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों से लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा को प्रभावित करने वाले मामलों में तत्परता और जिम्मेदारी से कार्रवाई करने का आग्रह किया।

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग

फरवरी 2026 में, छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग (सीएसएचआरसी) के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री गिरिधारी नायक ने आयोग की टीम के साथ राज्य के गरियाबंद, बीजापुर और कोंडागांव जिलों की जेलों, अस्पतालों, पुलिस थानों, सरकारी स्कूलों और छात्रावासों का दौरा किया। सीएसएचआरसी ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए कल्याणकारी

योजनाओं के संबंध में जानकारी एकत्रित की। जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में, सीएसएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष ने 2025-26 में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, पुनर्वास और उत्थान के लिए सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों से उन बच्चों का पता लगाने को भी कहा जिन्होंने नक्सली गतिविधियों के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया था और नक्सलियों द्वारा अपने संगठन में शामिल कर लिए गए थे। उन्होंने उनसे इन बच्चों के लिए उचित आश्रय गृह स्थापित करने और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने का आग्रह किया ताकि वे असामाजिक और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के जाल में न फंसें।



▶ छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग (CSHRC) के कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री गिरिधारी नायक एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करते हुए

हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एचएसएचआरसी) ने जनवरी और फरवरी 2026 के महीनों के दौरान राज्य में मानव अधिकार उल्लंघन के विभिन्न मुद्दों से संबंधित 56 मामले दर्ज किए। इनमें से आयोग ने तीन मामलों का निपटारा कर दिया है, जबकि शेष मामले प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है।



▶ आंध्र प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (APSHRC) के सदस्य मानव अधिकारों पर आयोजित 2-दिवसीय आउटरीच जागरूकता एवं वकालत कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

एनएचआरसी के हस्तक्षेप पर पीड़ितों की प्रतिक्रिया

1

2 अक्टूबर 1993 को अपनी स्थापना के बाद से, एनएचआरसी, भारत ने अपने प्रयासों के माध्यम से मानव अधिकार उल्लंघन के विभिन्न पीड़ितों या उनके परिजनों को सहायता प्रदान की है। इस कॉलम में उन पीड़ितों के अनुभवों का संक्षिप्त अंश प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा लागू की गई एनएचआरसी की सिफारिशों से लाभ हुआ है।

मछली बीज किसानों के लंबित भुगतान का निपटारा

(केस संख्या 717/36/0/2024)

आयोग को मछुआरा समुदाय से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने तेलंगाना सरकार द्वारा उनके बकाया भुगतान में हस्तक्षेप करने के लिए आभार व्यक्त किया है। आयोग ने उनकी शिकायत के आधार पर इस मामले का संज्ञान लिया था। खबरों के अनुसार, आंध्र प्रदेश के छोटे किसान जो अपनी आजीविका के लिए मछली के बीज का उत्पादन करते हैं, पिछले 6-7 वर्षों से तेलंगाना सरकार को मछली के बीज की आपूर्ति कर रहे हैं।

2023-24 में, उन्हें मछली के बीज की आपूर्ति का ठेका दिया गया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। हालांकि, बार-बार याद दिलाने के बावजूद तेलंगाना सरकार ने उनके 75 करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान नहीं किया। आयोग के हस्तक्षेप के बाद, अंततः राज्य सरकार ने उनके बिलों का भुगतान कर दिया।

आंगनवाड़ी केंद्रों का पुनर्निर्माण

(केस संख्या 696/1/29/2025)

आयोग ने एक आदिवासी संघ की शिकायत का संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आंध्र प्रदेश के देवीपटनम मंडल के लोट्टुपालेम, देवरापल्ली, पोथावरम, चिन्नारी गांधी और येरामिटला सहित छह गांवों और जिला मुख्यालय रामपचोडावरम में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए उचित भवन नहीं हैं। बुनियादी ढांचे की कमी से उनके छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आयोग ने रामपचोडावरम के एकीकृत बाल विकास सेवा विभाग को राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने और इन भवनों के निर्माण के लिए शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश दिया। आयोग के हस्तक्षेप के बाद, रामपचोडावरम और आसपास के अन्य गांवों में जर्जर आंगनवाड़ी भवनों के पुनर्निर्माण के प्रयास शुरू हो गए हैं, जिनकी स्थानीय मीडिया में व्यापक रूप से सराहना की गई है।



संक्षेप में समाचार

- 4 फरवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित अखिल भारतीय संस्कृत छात्र विश्वविद्यालय की साक्षरता गतिविधियों के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने मानव अधिकारों और सद्भाव को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के प्राचीन सभ्यतागत मूल्यों को संरक्षित करने और प्रसारित करने में संस्कृत भाषा की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने भावी पीढ़ियों के लिए संस्कृत साहित्य और शास्त्रों में प्राचीन ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार के लिए राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की।



- 5 फरवरी 2026 को एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भारत लाल ने नई दिल्ली में आयोजित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति: क्रियान्वयन और आगे की राह' विषयक गोलमेज संगोष्ठी की अध्यक्षता की। चर्चा का मुख्य विषय अब तक की यात्रा पर विचार करना और एनईपी 2020 के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भविष्य के लिए एक स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण रोडमैप तैयार करना था। इस सम्मेलन में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों, भारत सरकार, यूजीसी, एआईसीटीई के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रमुख थिंक टैंकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का एक असाधारण समूह एकत्रित हुआ।



- 6 फरवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने गुजरात के गांधीनगर स्थित कर्णावती विश्वविद्यालय के यूनाइटेडवर्ल्ड स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित 'भारत का मानव अधिकार विमर्श: सभ्यता के माध्यम से सार्वभौमिक मूल्य' विषय पर लीगल ईगल सत्र को संबोधित किया। उन्होंने मानव अधिकारों के वैश्विक विकास का विश्लेषण करते हुए भारत के सभ्यतागत मूल्यों और इस विमर्श में भारत के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मानव अधिकार सामूहिक दायित्व हैं जो संविधान में निहित हैं और व्यक्तिगत आचरण एवं अंतरात्मा में समाहित हैं।



- 7 फरवरी 2026 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने कटक और भुवनेश्वर (खुर्दा), ओडिशा का दौरा किया और संस्थागत नैतिकता समिति तथा चिकित्सा शिक्षा इकाई की बैठकों में भाग लिया।
- 8 फरवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने वार्षिक सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। प्रिंसटन फाउंडेशन फॉर पीस एंड लर्निंग द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'एलिवेट' कार्यक्रम में उन्होंने छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी और शिक्षा को व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री या करियर प्राप्त करने तक सीमित नहीं है; यह एक



मानवीय और समावेशी समाज के निर्माण के लिए अन्याय पर सवाल उठाने के लिए साहस और गरिमा के साथ जीने का भी माध्यम है। प्रत्येक शिक्षित लड़की हमारे संविधान और मानव अधिकारों के लिए एक मौन लेकिन महत्वपूर्ण विजय का प्रतीक है।

श्री लाल ने कहा कि भारत की सभ्यतागत विचारधारा में समानता और गरिमा का लंबे समय से महत्व रहा है। आज, यह विरासत शासन में भी झलकती है, जहां स्थानीय स्वशासन में 46% से अधिक प्रतिनिधि महिलाएं हैं और वे पानी समितियों जैसे सामुदायिक संस्थानों का नेतृत्व कर रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और नारी शक्ति वंदन अधिनियम सहित सुधारों ने उनके लिए कक्षाओं से लेकर संसद तक के द्वार खोल दिए हैं। भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में स्नातक करने वालों में 43% से अधिक लड़कियां हैं। उन्होंने छात्रों से ईमानदारी के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने, सहानुभूति के साथ नेतृत्व करने, दूसरों का मार्गदर्शन करने और दैनिक जीवन में मानवीय गरिमा की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों से गार्गी के निडर प्रश्न, सावित्रीबाई के साहस, गांधी जी के नैतिक बल और अंबेडकर के शिक्षा और संविधान में अटूट विश्वास को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

- 12 फरवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी ने माधव गुरुकुलम, आंध्र प्रदेश के वार्षिकोत्सव समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।



- 14 फरवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत की भारतीय सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने नई दिल्ली में आयोग से मिलने आए आंध्र प्रदेश के तिरुपति के संविदा श्रमिकों से मुलाकात की। उन्होंने नौकरी की असुरक्षा, 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति, पेंशन, कम वेतन और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच से संबंधित अपनी शिकायतों को उजागर किया।

- 16 फरवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित डॉ. एसपीएम राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान (एसपीएम - निवास) द्वारा आयोजित जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य शोधकर्ताओं, छात्रों, शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स को जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता क्षेत्र में अपने शोध निष्कर्षों और नवाचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था, ताकि समाज को व्यापक लाभ मिल सके।

श्री लाल ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए जल, स्वच्छता और साफ-सफाई के महत्व पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए गरिमा और सुगम जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए। उन्होंने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन द्वारा लोगों के जीवन में लाए



गए परिवर्तन के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत में, वर्षा जल को स्वच्छ रूप से एकत्रित करने और पूरे वर्ष उपयोग के लिए संग्रहित करने के लिए स्वच्छता एक पूर्व शर्त है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) समाधानों का उपयोग करके जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की निगरानी करना आवश्यक है।

श्री लाल ने कहा कि अब समय आ गया है कि ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक उपयोगिताओं के रूप में कार्य करने और संविधान के 73वें संशोधन के तहत परिकल्पित लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों के माध्यम से भारत को एक विकसित देश बनाने में एसपीएम-निवास को सरकारी विभागों और जल उपयोगिताओं को शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और मार्गदर्शन प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

- 21 फरवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने भुवनेश्वर, ओडिशा में WE4YOU चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ओडिशा एबिलिटी समिट 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।
- 24 फरवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल डी ने कहा कि यूएसआईएसपीएफ कार्यालय, आईआईएलएम सनातन सेंटर फॉर आर्ट्स एंड आइडियाज, नई दिल्ली में आयोजित यूएसआईएसपीएफ - पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विशेष संबोधन दिया गया। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर 'स्टेट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया 2026 रिपोर्ट' का भी विमोचन किया गया, जिसमें पर्यटन क्षेत्र के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

श्री लाल ने इस मूलभूत सत्य पर बल दिया कि संस्कृति किसी राष्ट्र की आत्मा है और पर्यटन उस आत्मा को अनुभव करने का मार्ग है। भारत की 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता मात्र इतिहास का एक अध्याय नहीं है; यह एक जीवंत और निरंतर प्रवाह है। उन्होंने कहा कि हर कुछ सौ किलोमीटर पर एक विशिष्ट भाषा, व्यंजन, वास्तुकला, परंपरा और विश्वदृष्टि देखने को मिलती है। यह अद्वितीय विविधता सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, विरासत, धार्मिक और पर्यावरण-पर्यटन के लिए असीमित अवसर प्रदान करती है।

उन्होंने कहा कि जो लोग भारत की सभ्यतागत संस्कृति में डूब जाते हैं, उन्हें स्मारकों या प्राकृतिक दृश्यों से कहीं अधिक गहरा अनुभव होता है वे एक नए परिवर्तन का अनुभव करते हैं। प्राचीन खोजकर्ताओं से लेकर आधुनिक यात्रियों तक, अनगिनत आगंतुकों ने इस पवित्र भूमि पर जीवन का नया उद्देश्य, स्पष्टता



और प्रेरणा पाई है। भारत केवल पर्यटकों की मेजबानी नहीं करता; यह जीवन को छूता है और दृष्टिकोण को नया आकार देता है। लाखों लोगों के लिए, भारत में यात्रा और पर्यटन अपने जीवन का उद्देश्य खोजने का माध्यम है और यह केवल आनंद तक सीमित नहीं है। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से प्रगति कर रही है, पर्यटन समावेशन, रोजगार सृजन, अंतर-सांस्कृतिक संवाद और वैश्विक समझ के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। यह एक आत्मविश्वासी, आधुनिक भारत की भावना को दर्शाता है - जो विरासत में निहित है, फिर भी विकास और नवाचार को साहसपूर्वक अपनाता है।

श्री लाल ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की खोज मात्र भौगोलिक यात्रा नहीं है; यह एक अंतर्मन की यात्रा है। पर्यटन को केवल आर्थिक विकास के साधन के रूप में नहीं, बल्कि समझ, सम्भाव, आध्यात्मिक यात्रा और साझा मानवीय मूल्यों के सेतु के रूप में देखा जाना चाहिए।

- 28 फरवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई स्थित अरुणाचल प्रदेश अध्ययन विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।



आगामी कार्यक्रम

एनएचआरसी, भारत द्वारा 9 से 20 मार्च 2026 तक अपना दूसरा दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटरशिप (ओएसटीआई) कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

16 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत अपने परिसर में हाइब्रिड मोड में 'बच्चों द्वारा सोशल मीडिया तक पहुंच' विषय पर एक खुली चर्चा का आयोजन करेगा।

11 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत अपने कर्मचारियों के लिए 'साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

13 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत अपने कर्मचारियों के लिए "चिकित्सा आपातकालीन स्थितियों से निपटना" विषय पर एक व्याख्यान सह प्रदर्शन का आयोजन करेगा।

17 मार्च 2026 को, एनएचआरसी, भारत अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 'जागरूकता से कार्रवाई तक: पीओएसएच के तहत लिंग संवेदीकरण' नामक एक लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा।

एनएचआरसी, भारत मार्च 2026 में विभिन्न विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से कई मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा।

फरवरी 2026 में प्राप्त शिकायतें

| | |
|---|--------|
| प्राप्त नई शिकायतों की संख्या | 2,967 |
| पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या | 5,185 |
| आयोग द्वारा विचाराधीन मामलों की संख्या | 43,129 |

